छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2011–12

छत्तीसगढ़ शासन,

आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2011—12

छत्तीसगढ़ शासन,

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1	प्रारंभिक	01
1.7	अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्याएं	02
1.8	नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान	03
1.9	अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989	09
1.10	आदिवासियों की भूमि का अनुसूचित क्षेत्र में क्रय–विक्रय	10
1.11	प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का क्रियान्वयन	10
1.12	औद्योगिक नीति	11
1.13	अनुसूचित क्षेत्र में आबकारी नीति	14
2	अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक, आर्थिक प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन	17
2.2.1	राजनीतिक आरक्षण	19
2.3	शासकीय सेवा में आरक्षण	19
2.4	जाति प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन	20
2.5	अधिसूचित क्षेत्र के लिये विशेष शैक्षणिक योजनाएं	22
2.8	आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन	27
2.9	अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान	32
3	अधिसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अनुमोदन से लागू केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों की जानकारी	37
4	अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विकास की योजनाएं	39
4.1	वन विभाग	39
4.2	ऊर्जा विभाग (क्रेडा/विद्युत मंडल)	41
4.3	महिला एवं बाल विकास विभाग	44
4.4	कृषि विभाग	45
4.5	पशुपालन विभाग	50
4.6	मत्स्योद्योग विभाग	51
4.7	संस्कृति विभाग	55

4.8	गृह विभाग (पुलिस)	56
4.9	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग	57
4.10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	60
4.11	जनशक्ति नियोजन विभाग	64
4.12	सहकारिता विभाग	67
4.13	समाज कल्याण विभाग	68
4.14	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	70
4.15	ग्रामोद्योग विभाग	73
4.16	जलसंसाधन विभाग	74
4.17	लोक निर्माण विभाग	76
4.18	जनसंपर्क विभाग	77
4.19	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	78
4.20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	79
5.0	विकास कार्यक्रमों की समीक्षा	80
5.1	कृषि एवं उद्यानिकी विभाग	82
5.2	पशुपालन विभाग	83
5.3	मत्स्य विभाग	84
5.4	सहकारिता विभाग	85
5.5	वन विभाग	86
5.6	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	88
5.7	ऊर्जा विभाग	90
5.8	रेशम एवं ग्रामोद्योग विभाग	91
5.9	जल संसाधन विभाग	93
5.10	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	94
5.11	स्कूल शिक्षा विभाग	94
5.12	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	95
5.13	उच्च शिक्षा विभाग	102
5.14	जनशक्ति नियोजन विभाग	102
5.15	समाज कल्याण विभाग	104

5.16	पंचायत	105
5.17	महिला एवं बाल विकास विभाग	105
5.18	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	107
5.19	लोक निर्माण विभाग	108
5.20	राज्य योजना मण्डल	110
5.21	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	110
5.22	चिकित्सा शिक्षा विभाग	112
5.23	संस्कृति विभाग	112
5.24	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	112
5.25	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	113
5.26	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	113
5.27	भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग	113
5.28	आयुर्वेद, योग एवं प्रा.चिकि.,यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग	115
5.29	जनसंपर्क	116
6	विशेष पिछडी जनजातियों का विकास	117
7	अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006	122

<u>परिशिष्ट</u>

1 अ	प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र	126
1 ब	प्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	127
2 अ	उपयोजना तथा अनुसूचित क्षेत्रों का परिदृश्य	128
2 ब	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र की तुलनात्मक स्थिति	129
3	छत्तीसगढ़ जनजाति सलाकार परिषद	130
4 अ	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	143
4 ब	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत माडा पाकेट को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	155
4 स	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत लघुअंचल को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	162

4 द	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	164
4 इ	संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत प्रावधानित राशि वर्ष 2010–11	171

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष – 2011–12

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) भाग 'ए' की कंडिका 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2011–12

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1.1 1 नवम्बर सन् 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 27 जिले है, जो क्रमशः रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा (कबीरधाम), बस्तर, (मध्य बस्तर), नारायणपुर, दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), बीजापुर, कांकेर (उत्तर बस्तर), बिलासपुर, जाजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर–सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, मुंगेली, बलरामपुर, बेमेतरा, बलौदा बाजार, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव हैं। राज्य में कुल 146 विकासखण्ड है जिनमें आदिवासी विकास खण्डों की संख्या 85 है।

1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा क्षेत्र है। इनमें से 4 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें से 40 सीटें (30 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति के लिए)सुरक्षित है।

1.3 छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के पूर्व में 17.00–23.70 अंश उत्तर अक्षांश तथा 80.40–83.38 अंश पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ 135133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 81,861.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60.58 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विवरण–परिशिष्ट–1(अ) एवं (ब) में दर्शित है।

1.4 राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (जनगणना 2001) 66.16 लाख है। जनगणना 2001 अनुसार उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 91.45 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 54.34 लाख (59.42%) है। अनु. क्षेत्र की कुल जनसंख्या 80.03 लाख (जनगणना 2001) हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 48.84 लाख (60.42%) है। राज्य का सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत है।

1.5 प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विकास आदिवासी उपयोजना की अवधारणा के अनुरूप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोड़ हैं। इसकी विभिन्न उपजातियाँ

माड़िया, मुरिया, ढोरला, आदि है। इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, सवरा, नागेशिया, मंझवार, खरिया और धनवार जनजाति बड़ी संख्या में है, अन्य जनजातियों की संख्या बहुत कम है। प्रदेश में 88 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में मान्य है। यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रतिशत है। प्रदेश का सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र प्रशासकीय दृष्टि से 19 एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं, 9 माडा पाकेट तथा 2 लघु अंचलों में विभक्त है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 24 जिले (13 पूर्ण एवं 11 आंशिक) एवं 85 आदिवासी विकास खण्ड पूर्ण रूप से तथा 27 सामुदायिक विकास खण्ड आंशिक रूप से शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–2 (अ) 2 (ब) पर दर्शाया गया है।

1.6 छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर तथा अबूझमाड़ियों का निवास है। इन जनजातियों के आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 2 प्रकोष्ठ गठित है। वर्ष 2005–06 में हुए बेस लाईन सर्वे के अनुसार प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1. 55 लाख है।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002–03 में पंडों तथा भुजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक–पृथक अभिकरण क्रमशः सूरजपुर जिले में पंडो जनजाति के लिए तथा गरियाबंद जिले में भुंजिया जनजाति के लिए गठित किए गए हैं। विकास अभिकरणों के माध्यम से इन जनजातियों हेतु सामान्य जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही साथ अतिरिक्त सुविधायें जैसे अधोसंरचना मूलक, समुदाय मूलक तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

1.7 अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्याएं :–

नक्सलवादी गतिविधियां एवं कानून व्यवस्था की स्थिति :–

वर्तमान में छ.ग. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्या क्षेत्र का उग्र वामपंथी गतिविधियों से पीड़ित होना है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के 16 जिले वामपंथी गतिविधि से प्रभावित होने के कारण SRE जिलों की सूची में सम्मिलित किये गये है जिनके नाम क्रमशः बस्तर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, महासमुंद, बालोद, गरियाबंद धमतरी, एवं राजनांदगांव है।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को सामान्य बनाये रखते हुए विकास कार्यो को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र शासन द्वारा विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

इस अवधि में केन्द्र सरकार ने दो विशेष भारत रक्षित वाहिनियों की स्वीकृति दी है, जिनमें से प्रत्येक में 2–2 कंपनी तकनीकी कंपनी हैं जो इन क्षेत्रों में अधोसंरचना के निर्माण में सहयोग करेंगे और बटालियन की शेष कंपनी सुरक्षा प्रदान करेंगी।

2. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन का गठन करके प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के लिए आवश्यक अधोंसंरचना यथा पुलिस थानों, कर्मचारी आवास आदि का निर्माण किया जायेगा।

3.सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011 के तहत इस अवधि के अंतर्गत सहायक सशस्त्र पुलिस बल बनाया गया है जिसमें भर्ती बस्तर क्षेत्र से की गई है और जवानों की तैनाती भी उसी क्षेत्र में की गई हैं इसके तहत लगभग 4000 का बल तैयार किया गया है।

1.8 नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–4/ 82/ गृह–सी/ 2001/ दिनांक 20 अक्टूबर 2004, राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/ परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने के उददेश्य से तथा पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिये निम्नानुसार कार्ययोजना स्वीकृत करता है :–

1. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार से आशय ऐसे व्यक्ति/परिवार से है –

   अ. जिस व्यक्ति/परिवार के सदस्य की नक्सलवादियों द्वारा हत्या कर दी गई हो अथवा स्थाई तौर पर शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया गया हो अथवा गंभीर रूप से आहत कर दिया गया हो अथवा

   ब. जिस व्यक्ति/परिवार की चल/अचल संपत्ति को नक्सलवादियों द्वारा इस स्तर तक क्षति पहुंचा दी गई हो जिससे उसके जीविकोपार्जन में बांधा उत्पन्न होती हो।

2. पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक, संबंधित वनमंडलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक, कृषि, उप संचालक शिक्षा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शामिल होंगें। पीड़ित परिवार में परिवार के मुखिया अथवा वैध उत्तराधिकारी ही राहत/सहायता राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

3. नक्सली पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास हेतु आवेदन पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये जाने पर, पुलिस अधीक्षक प्रकरण की वस्तुस्थिति का स्वयं

परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित कलेक्टर को अपने अभिमत के साथ अग्रेषित करेगा। कलेक्टर के पास आवेदन पत्र आने पर वे पुलिस अधीक्षक से सुसंगत जानकारी प्राप्त कर पुनर्वास हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेंगें।

4. पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही 90 दिन के अन्दर पूरी कर ली जायेगी। इसके लिये संबंधित सभी विभागाध्यक्षों को अवगत कराया जायेगा तथा प्रत्येक विभाग उपरोक्त समयावधि में अपने विभाग से संबंधित कार्यवाही पूर्ण करेगें। राज्य स्तर पर एक अंन्तविभागीय समिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,गृह की अध्यक्षता में होगी,, जो प्रदेश के सभी ऐसे पुनर्स्थापना के प्रकरण जो इस योजना के अंतर्गत बनाये गये होंगे, की प्रगति की समीक्षा करेगी। यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुनर्स्थापना के किसी प्रकरण प्राप्ति के 60 दिनों में उसका निराकरण अवश्य करेगी।

5. आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास में इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि उसके द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध कार्यवाही में राज्य को कितना योगदान दिया गया है।

6. नक्सली पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुर्नवास करने एवं अनुदान आदि दिये जाने में निम्न बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक होगा :–

(1) उम्र, (2) शिक्षा, (3) सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, (4) व्यवसाय का मापदंड जिसे वह पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहता है। (5) पुनर्वास की विस्तृत योजना

7. आत्मसमर्पित नक्सली पर यदि पूर्व में राज्य शासन/पुलिस विभाग द्वारा इनाम घोषित रहा हो तथा आत्मसमर्पण करने के बाद यदि उसके द्वारा पुलिस को नक्सली विरोधी अभियान में सहयोग दिया गया हो, तो उस आधार पर इनाम की समस्त राशि अथवा आंशिक राशि जैसा परिस्थितियों के अनुरूप उचित हो आत्मसमर्पित नक्सलवादी को दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई इनाम की राशि आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास के लिए स्वीकृत व्यय में सम्मिलित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों के संघम सदस्यों द्वारा नक्सली गतिविधियों से स्वयं को विरत कर नक्सल विरोधी अभियान में शासन को सहयोग देने पर उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से पांच हजार रूपये तक प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे सभी प्रकरणों का प्रस्ताव जिले के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त होने पर इसका पूर्ण परीक्षण जिला स्तर पर गठित समिति, द्वारा किया जायेगा तथा समिति की अनुशंसा उपरांत प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। प्रोत्साहन राशि बजट शीर्ष '' मांग संख्या–4 शीर्ष

2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य योजना–2653 पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायता अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

8. आत्मसमर्पित नक्सली ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो ऐसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा निम्नानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

1.	एल.एम.जी.	–	रू.	3,00,000
2.	ए.के.–47 रायॅफल	–	रू.	2,00,000
3.	एस.एल.आर. रायफल	–	रू.	1,00,000
4.	थ्री नाट थ्री रायफल	–	रू.	50,000
5.	12 बोर बन्दुक	–	रू.	20,000

9. आत्मसमर्पित नक्सली पति एवं पत्नी को एक ही ईकाई माना जायेगा। और उन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने के लिये दोनों में से किसी एक को पुर्नवास योजना का लाभ दिया जायेगा।

10. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सली पीड़ित व्यक्तियों को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत पात्रता अनुसार प्राथमिकता देते हुये सहायता दी जायेगी। जिन जिलों/विकास खंडो का चयन राष्ट्रीय सम विकास योजना/छ.ग. गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत किया गया है वहां इन योजनाओं के अंतर्गत एपीएल परिवारों के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

11. नक्सली पीडित व्यक्ति/परिवार एवं आत्मसमर्पित नक्सलवादी, जिनके पास जीविकापार्जन का कोई साधन न हो, नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी भी स्थान पर कृषि योग्य भूमि आवंटन हेतु निवेदन कर सकेगें। संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि इन व्यक्तियों के यथासंभव वरीयता क्रम में भूमि उपलब्धता अनुसार आवंटित की जायेगी। साथ ही भूमि आवंटन करते समय इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके क्रियान्वयन के लिये यदि आवश्यक होगा, तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकेगें। ऐसे प्रकरणों में यदि आवश्यक हो तो नक्सली पीडित व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से उसके स्वयं के भूमि के बदले में दूसरे स्थान में सममूल्य भूमि उपलब्धता अनुसार दी जा सकेगी।

12. यदि नक्सली पीडित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली द्वारा वन क्षेत्र/राजस्व की भूमि निवास अथवा कृषि हेतु अतिक्रमित की है तो पात्रतानुसार भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में संशोधन कर लेंगें। वन भूमि में व्यवस्थापन के लिये वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई ''कटऑफ'' तिथियां यथावत रहेंगी।

13. सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुये यदि शहरी क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, तो शहरी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाएं के अंतर्गत नजूल प्लाट उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावेगी।

14. यदि आत्मसमर्पित नक्सली व नक्सल पीड़ित व्यक्ति शिक्षित है और शिक्षा कर्मचारी नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो ऐसे प्रकरणों में उनकी नियुक्ति उसी पद्धति से की जावेगी, जिस पर प्रीमिटिव ट्राइव की, की जाती है।

15. यदि आत्म समर्पित नक्सली अथवा नक्सली पीड़ित व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो उसे नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। अन्यथा उसे पात्रता अनुसार होमगार्ड के रूप में नियुक्ति दी जायेगी।

16. यदि किसी व्यक्ति द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी सम्पत्ति एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में उसे क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग में, ऐसे व्यक्तियों को, पुलिस विभाग की अधीन निम्नतम पदों पर अर्थात् आरक्षक, अर्दली या उसके समकक्ष पदों अथवा होमगार्ड पर योग्यातानुसार नियुक्ति कर सकेगा। यह प्रावधान आम जनता के उन व्यक्तियों के लिये ही लागू होगा, जिन्होंने नक्सलियों के विरूद्ध मुठभेड़ में, पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो।

17. नक्सली पीड़ित महिलाओं एवं आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजना का सदस्य बनाकर कुटीर उद्योगों से जोडकर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा।

18. नक्सली पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसर्पित नक्सली यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहते है, अथवा उसके पुत्र–पुत्री शिक्षा प्राप्त कर रहें है तो उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा, पात्रता अनुसार प्राथमिकता के आधार उपलब्ध करायी जायेगी।

19. यदि उनके पुत्र–पुत्री शिक्षित है, एवं शासकीय सेवा के लिये न्यूनतम अर्हता रखते है तो उन्हें शासकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। यदि पीडित व्यक्ति या परिवार का पुत्र–पुत्री पुलिस विभाग में आना चाहता हो, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को आरक्षक पद पर नियुक्त कर सकेगें। आरक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक मापदण्डों में किसी प्रकार की छूट देने के लिए रेंज पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगें।

20. मृतक के परिवार में ऐसे कम उम्र के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम के हो और अध्ययनरत हो, उन्हें समीप के आश्रम में रहने की सुविधा एवं छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती है।

21. मृतक के आश्रित परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को, यदि उक्त परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो, तथा वह शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा मं नियुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

22. नक्सली हिंसा में मारे गये आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति रूपये एक लाख के मान से राहत/सहायता राशि आश्रित परिवार को गृह विभाग के बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4''"शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य योजना– 2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इस राहत/सहायता राशि को आश्रित परिवार को प्रदान करने के लिये राशि का आहरण एवं संवितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि घटना के एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि का भुगतान नक्सली पीडित परिवार को हो जाये। राशि के आहरण हेतु जिला कलेक्टर बजट आंवटन की प्रतीक्षा नहीं करेगे। उक्त बजट शीर्ष से राशि आहरण एवं वितरण कर गृह विभाग व वित्त विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा भुगतान की

गई राशि का प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में कराना आवश्यक है।

23. यदि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुचाई गई हो, और वह विकलांग हो गया हो, तो उसके आश्रित परिवार के बच्चों को वे सुविधाएं ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराई जायेगी, जो कि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है।

24. नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के शारीरिक रूप से अपंग होने/गंभीर रूप से घायल होने आदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने पर उन्हें निम्नानुसार राहत/सहायता राशि गृह विभाग बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4श्शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200 अन्य योजना–2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिये अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी :–

1.	घायल को– क. स्थाई असमर्थ ख. गंभीर घायल	 रू. 50,000 (रू.पच्चास हजार) रू. 10,000 (रू. दस हजार)
2.	स्थायी संपत्ति (मकान, दुकान आदि) क. कच्चे मकान ख. पक्के	 रू. 10,000 (रू. दस हजार) रू. 20,000 (रू. बीस हजार)
3.	चल संपत्ति (अनाज, कपड़े, घरेलू सामान) के नुकसान पर	रू. 5,000 (रू. पांच हजार)
4.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – बैलगाड़ी, नाव आदि	रू. 10,000 (रू. दस हजार)
5.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – ट्रेक्टर, जीप आदि	रू. 25,000 (रू.पच्चीस हजार)

उपरोक्त सुविधा में वे व्यक्ति परिधि में नहीं आवेगें, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नियमों के अंतर्गत पात्रता है।

25. नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति का आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई क्षति पहुंचती है तो ऐसी संपत्ति की बीमा राशि को छोडकर उचित मुआवजा दिया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की संपत्ति का नुकसान होने पर

उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के नियम 12(चार) के अंतर्गत राहत राशि आदिम जाति तथा कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

26. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सली पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों के पुर्नवास की व्यवस्था तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। साथ ही उनकी आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त सुविधाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय जिला स्तरीय समिति कर सकेगी।

27. आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सली पीडित व्यक्ति के विरूद्ध यदि पूर्व में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, तो उनके द्वारा नक्सली उन्मुलन में दिये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरणों को समाप्त करने पर शासन विचार कर सकेगा।

28. आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा पुनर्वास के पश्चात् नक्सली दलों से संपर्क रखने की जानकारी प्राप्त होने पर तथा उसकी पुष्टि किये जाने पर ऐसे आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गई ऋण राशि एवं संसाधनों को जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन राजसात करने के आदेश दे सकेगा।

29. नक्सल पीड़ित परिवार यदि वह चाहे तो अपने स्वामित्व की भूमि को शासन को देकर तथा उसके बदले अन्यत्र प्रदेश में कहीं भी उसकी भूमि के बदले समतुल्य कीमत की भूमि उसे आवंटित किये जाने का आवेदन दे सकेगा। इस आवेदन का परीक्षण कर जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर भूमि की आवेदित स्थान पर उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए शासन समतुल्य मूल्य की भूमि आवंटित कर सकेगी।

1.9 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989

सवर्ण व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर उत्पीड़न व अत्याचार किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे प्रकरणों में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग की रिपोर्ट पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जाता है, प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त अथवा एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद प्रभावित एवं पीड़ित वर्ग को राहत अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है, जिला मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक प्रकरणों की मानीटरिंग की जाकर समय–समय पर निर्देशित किया जाता है, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।

2. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थित थानों में घटित अत्याचार के अपराधों के आंकड़ों के आधार पर प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित किया जाकर परिलक्षित क्षेत्र की सूची में शामिल किया जाता है, पुलिस द्वारा ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करके निगाह रखी जाती है एवं स्थिति अनुसार प्रतिबंधक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। किन्तु राज्य में परिलक्षित क्षेत्र की जानकारी निरंक है।

3. राज्य में कुल 6 विशेष न्यायालय क्रमशः जिला– रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर एवं सरगुजा में स्थापित किए जाकर कार्यरत है।

1.10 आदिवासियों की भूमि का अनुसूचित क्षेत्र में क्रय – विक्रय :–

अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की भूमि के क्रय–विक्रय हेतु दिनांक 26 सितंबर 2011 को आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में राज्य के तीन संभागों – रायपुर, बिलासपुर, बस्तर में अनुसूचित जनजाति वर्ग की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग को विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर रायपुर, बिलासपुर संभाग में दी गई अनुमति का विस्तृत विवरण प्राप्त करने तथा बस्तर संभाग मे अवैध भूमि के स्थानांतरण की प्रचलित प्रकरणों में शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये थे।

अनुसूचित जनजातियों से गैर अनुसूचित जनजातियों को किये गये भू–हस्तांतरण संबंधी प्रकरणों में न्यायालय आयुक्त, बस्तर संभाग द्वारा बस्तर जिला के 63 एवं दंतेवाड़ा जिले के 10 प्रकरणों को छ.ग. भू–राजस्व संहित 1959 की धारा 50(1)के तहत स्वयमेव पुनरीक्षण में लिया जाकर उक्त प्रकरणों में क्रमशः दिनांक 28–01–2012, 30–01–2012 एवं 10–01–2012 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 165(6) (एक) का उल्लंघन कर कलेक्टर/अपर कलेक्टर द्वारा आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को अन्तरण की प्रदत्त अनुमति सबंधी आदेशों को निरस्त करते हुए संहिता के प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण का निराकरण किये जाने के निर्देश सहित कलेक्टर, बस्तर/दंतेवाड़ा को प्रत्यावर्तित किये गये है।

1.11 प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का क्रियान्वयन :–

अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत जनसंख्या (विशेषकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य) को ऋण ग्रस्तता से मुक्त रखने के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन अधिनियम 2010) अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का विस्तार निर्दिष्ट

अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा। इस प्रकार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ब्याज पर ऋण देने की प्रक्रिया को गैर कानूनी घोषित किया गया है।

1.12 औद्योगिक नीति :–

राज्य शासन द्वारा घोषित औद्योगिक नीति नीति 2009–14 दिनांक 01 नवंबर 2009 में अनुसूचित जनजातियों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु निम्नानुसार छूट एवं रियायतें के प्रावधान निर्धारित किये गये हैं :–

1– ब्याज अनुदान

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम श्रेणी के पात्र उद्योगों को लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

क–सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 20 लाख वार्षिक।	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 25 लाख वार्षिक।
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 40 लाख वार्षिक।	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 50 लाख वार्षिक।
ख–मध्यम उद्योग		
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक।	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यामियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक।	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा रू. 60 लाख वार्षिक।

2–स्थायी पूंजी निवेश अनुदान –

पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योगों एवं मेगा प्रोजेक्टस एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा –

क–सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 40 लाख।	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 80 लाख।
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थाई पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रू. 80 लाख	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 12 लाख।
ख–मध्यम उद्योग–		
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 80 लाख	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा 100 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रू. 90 लाख	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम रू. 125 लाख
ग–वृहद उद्योग–		
आर्थिक दृष्टि से	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के

विकासशील क्षेत्रों में	उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 100 लाख	उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू.120 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थाई पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत– अधिकतम सीमा रू. 120 लाख	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम रू 140 लाख
घ– मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट –		
क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक क्षेत्र से विकासशील क्षेत्रों में	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 300 लाख रू.	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 350 लाख रू
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत– अधिकतम सीमा रू. 350 लाख,	स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 500 लाख,

3–विद्युत शुल्क छूट–

केवल पात्र नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :–

क–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विकासशील क्षेत्रों में	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में	अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक छूट
ख– वृहद/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा/प्रोजेक्ट–		
आर्थिक दृष्टि से	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने

विकासशील क्षेत्रों में	दिनांक से 03 वर्ष तक छूट	के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रो में	वाणिज्यि उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट

1.13 अनुसूचित क्षेत्र मे आबकारी नीति :–

संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के अंतर्गत आबकारी नीति निम्नानुसार है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में मादक द्रव्यों की वाणिज्यिक गतिविधियां बहुत सीमित है। जनसंख्या एवं क्षेत्र के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में मदिरा दुकानों की संख्या नगण्य है। नीति लागू होने के बाद दुकानें बंद की गई है। वर्तमान में मदिरा दुकानों का आबंटन लाटरी के माध्यम से किया जाता है जिसमें भागीदारी सभी वर्ग के लोग कर सकते है। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आबकारी अधिनियम में संशोधन भी किये गये है। अनुसूचित क्षेत्रों में उपलंभन कार्य हेतु कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61 ख के तहत इस समुदाय के लोगों को संरक्षण प्राप्त है। ग्राम सभा द्वारा पारित किसी भी निर्णय को लागू करने के लिये उपखंड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आबकारी अधिनियम की धारा 61 च के तहत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत है। अतः अनुसूचित जनजाति के लोगों की शोषण जैसी स्थिति नहीं है।
2. अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये मदिरा निर्माण करने की छुट है। इस संबंध में आबकारी अधिनियम की धारा 61 घ में प्रावधान है :–

   आबकारी अधिनियम की धारा 61 घ के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट –

   1. इस अधिनियम उपबंध आसवन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण, उसके कब्जे तथा उपभोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे।
   2. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्ते के अध्याधीन रहते हुए, आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे अर्थात :–

(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा।

(दो) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा।

(तीन) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी।

परंतु ग्राम सभा देशी मदिरा के कब्जे की सीमा को कम कर सकेगी।

स्पष्टीकरण :– गृहस्थी से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों का कोई समूह जो एक ही घरेलू इकाई के सदस्यों के रूप में संयुक्त रूप से निवास तथा भोजन करता है।

3. अनुसूचित क्षेत्रों में वर्तमान में लाटरी के माध्यम से दुकान आबंटित की जाती है। पूर्व में वर्ष 1981 से 1990 तक एवं वर्ष 1993 से 2001 तक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें शासन द्वारा संचालित होती थी।

4. अनुसूचित क्षेत्रों में मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की शक्ति ग्राम पंचायत को है, इस संबंध में प्रावधान आबकारी अधिनियम की धारा 61 ड़ में हैं, जो निम्नानुसार है :–

धारा 61 ड मादक द्रव्यों के विनिर्माण विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिषिद्ध करने की ग्राम सभा की शक्ति –

(1) ग्राम सभा को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियमित करने तथा प्रतिसि़द्ध करने की शक्ति होगी।

परंतु ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध का कोई आदेश ऐसी विनिर्माण शाला को लागू नहीं होगा जो किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण में लगी हुई है और इस अध्याय के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थापित की गई हो।

(2) ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समाविष्ट, किसी क्षेत्र में राजय सरकार द्वारा ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिये कोई नई विनिर्माण शाला स्थापित नही की जाएगी और मादक द्रव्यों के विक्रय के लिये कोई नया विकास नहीं खोला जाएगा।

(3) यदि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय और उपभोग को प्रतिशिद्ध करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :–

(क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी।

(ख) किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिए कोई नया निकास नहीं खोला जाएगा और विद्यमान निकास, यदि कोई हो, प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिए जाएंगे।

(ग) कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, विक्रय या उपभोग नहीं करेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को पर्याप्त संरक्षण दिया जाने का आबकारी अधिनियमों में प्रावधान निहित है।

आबकारी मामलें से राहत :– जन सामान्य को, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो को नियम–कानूनों की जानकारी नहीं होने के कारण वे कई बार आपराधिक प्रकरणों में फंस जाते हैं, जिससे उन्हे सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक परेशानियों का सामना कई वर्षो तक करना पड़ता है। आबकारी मामलों में ऐसी परेशानियां झेल रहे लाखों परिवारों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासियों के विरूद्ध 31 दिसंबर 2011 तक दर्ज प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

*****

अध्याय–2

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक, आर्थिक प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का कियान्वयन

– – 0 – –

2.1 संविधान के अनुच्छेद 46 अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि :–

राज्य की जनता के दुर्बल वर्गो के विशिष्टिया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 244 अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन हेतु छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन :–

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) भाग (ख) की चौथी कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में नीतिगत विषयों पर राज्य शासन को परामर्श देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की अध्यक्षता में छ.ग जनजाति सलाहकार परिषद गठित है। परिषद में माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग उपाध्यक्ष है, परिषद के सदस्यों की सूची निम्नानुसार है :–

कमांक/एफ–20–2/25–2/आजाकवि/2009 आदिम जाति मंत्रणा परिषद नियमावली, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिय विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2006 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। उक्त आदेश को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नानुसार आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन करता है :

1. मान. मुख्यमंत्रीजी

   अध्यक्ष

2. मान.प्रभारी मंत्रीजी, आ.जा.तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

   उपाध्यक्ष

3. मान.श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर

   सदस्य

4. मान.श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़

   सदस्य

5. मान.श्री. सोहन पोटाई, सांसद, कांकेर

सदस्य

6. मान.श्री राम विचार नेताम, विधायक,पाल (अनु.ज.जा.)

सदस्य

7. मान.श्री सिद्ध नाथ पैकरा, विधायक सामरी (अनु.ज.जा.)

सदस्य

8. मान.श्री ओम प्रकाश राठिया, विधायक, धरमजयगढ़ (अनु.ज.जा.)

सदस्य

9. मान.श्री ननकी राम कंवर, विधायक,रामपुर (अनु.ज.जा.)

सदस्य

10. मान.श्री फूलचंद सिंह, विधायक, भरतपुर (अनु.ज.जा.)

सदस्य

11 मान.श्री जागेश्वर राम भगत, विधायक, जशपुर (अनु.ज.जा.)

सदस्य

12. मान.श्री डमरूधर पुजारी,विधायक, बिन्द्रानवागढ़ (अनु.ज.जा.)

सदस्य

13. मान.श्रीमती नीलिमा सिंह, टेकाम, विधायक,डौंडी लोहारा (अनु.ज.जा.)

सदस्य

14. मान.श्री ब्रम्हानंद विधायक, भानुप्रतापपुर, (अनु.ज.जा.)

सदस्य

15 मान.श्रीमती सुमित्रा मारकोले, विधायक,कांकेर (अनु.ज.जा.)

सदस्य

16 मान.श्री सेवकराम नेताम, विधायक,केशकाल, (अनु.ज.जा.)

सदस्य

17 मान.सुश्री लता उसेण्डी, विधायक,कोण्डागांव (अनु.ज.जा.)

सदस्य

18 मान.डॉ.सुभाउ कश्यप,विधायक,बस्तर (अनु.ज.जा.)

सदस्य

19 मान.श्री भीमा मण्डावी, विधायक,दंतेवाड़ा, (अनु.ज.जा.)

सदस्य

20 मान.श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर (अनु.ज.जा.)

सदस्य

21 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग (अनु.ज.जा.)

सदस्य

. विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगें जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद के सदस्य रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 26 सितंबर 2011 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–01 पर संलग्न है।

2.2.1 राजनीतिक आरक्षण :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोक सभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य से चयनित 11 संसद सदस्यों मे ंसे 4 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। आरक्षित सीट्स के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य गण लोकसभा के लिए निर्वाचित है।

2.2.2. विधानसभा में आरक्षण :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान हैं। तदानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा के सदस्यों में से 30 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित है। आरक्षित सीट्स के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य गण विधानसभा के लिए निर्वाचित है।

2.3 शासकीय सेवाओं में आरक्षण :–

संविधान के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का,

प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तदानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप इन वर्गो को इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है। केन्द्र शासन द्वारा केन्द्रीय सेवाओं में छत्तीसगढ़ के लिये आरक्षण की अधिसूचना पूर्व में जारी की जा चुकी है उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। आरक्षण की सुविधा शासकीय सेवाओं के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी दी गई है।

2.4 जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच एवं सत्यापन

फर्जी जाति प्रमाण–पत्र रोकने के उपाय

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल के निर्णय में दिए गए निर्देश के परिपालन में जाति प्रमाण–पत्रों की जांच हेतु अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र, उच्च स्तरीय छानबीन समिति को फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर नौकरी करने के 120 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिनमें से 64 प्रमाण–पत्र फर्जी पाए गए इनका जाति प्रमाण–पत्र, समिति द्वारा निरस्त करते हुए आरक्षित पद पर दी गई नियुक्ति निरस्त करने के लिए नियोक्ता विभाग को लिखा गया। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेवाओं में नियुक्ति के पूर्व जाति प्रमाण–पत्रों की जांच एवं सत्यापन कराने पर विचार किया जा रहा है। ताकि वास्तविक अनुसूचित जनजाति के लोगों को सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिल सके।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में छ.ग. राज्य में भी प्रमाण–पत्रों की जांच हेतु उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित की गई है। समिति की संरचना निम्नानुसार हैः–

जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति

1.	प्रमुख सचिव / सचिव आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास	अध्यक्ष
2.	आयुक्त / संचालक आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग	सदस्य सचिव
3.	विशेषज्ञ प्रतिनिधि (एन्थ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी) आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	सदस्य

फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की जांच की प्रक्रिया

फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के परिपालन में जाति प्रमाण–पत्र जाँच समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती हैः–

1. शिकायत जनता से प्राप्त होने/विभिन्न विभागों तथा माननीय उच्च न्यायालय से जांच हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण का पंजीयन किया जाता है।

2. तत्पश्चात् नियोक्ता विभाग से संबंधित व्यक्ति की जाति प्रमाण–पत्र नियुक्ति आदेश एवं सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति मंगाई जाती है।

3. उपर्युक्त अभिलेख प्राप्त होने पर प्रारंभिक जांच की जाती है। यदि प्रकरण फर्जी है तो प्रमाण–पत्र धारक के मूल निवास, जिला के पुलिस अधीक्षक को प्रकरण अन्वेषण हेतु भेजा जाता है। अन्वेषण में फर्जी प्रमाण–पत्र धारक के पिता/पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख या पिता सेवा में थे तो सेवा अभिलेख, जन्म पंजी में दर्ज जाति का अन्वेषण व प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित ग्राम के कोटवार, सरपंच, पटेल तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के पंचों तथा फर्जी जाति प्रमाण–पत्र धारक के माता/पिता, रिश्तेदारों का बयान लेकर जाति प्रमाण–पत्र धारक से नृजातीय प्रपत्र अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा भराया जाता है।

4. यदि समिति के विशेषज्ञ के प्रारंभिक अन्वेषण में वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति होना प्रतीत होता है तो नियोक्ता के माध्यम से नृजातीय अनुसूची

5. संबंधित से भरवायी जाती है तथा पूर्वजों के मिसल अभिलेख या शैक्षणिक अभिलेख अथवा स्वयं के दाखिल–खारिज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति साक्ष्य के रूप में मांगी जाती है।

6. पुलिस अधीक्षक के अन्वेषण रिपोर्ट एवं नृजातीय अनुसूची प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को कारण बताओं सूचना जारी की जाती है एवं जवाब प्राप्त किया जाता है।

7. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए संबंधित को समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इस संबंध में संबंधित ग्राम/कस्बे में इश्तहार भी जारी कराया जाता है।

8. समिति के समक्ष जाति प्रमाण–पत्र धारक तथा विपक्ष को मौखिक एवं लिखित में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अन्वेषण प्रतिवेदन संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं नृजातीय जानकारी के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर उसे समिति द्वारा निरस्त किया जाता है।

9. नियोक्ता को समिति के निर्णय की प्रति भेजते हुए आरक्षित पद पर दी गई गलत नियुक्ति निरस्त करने के लिए लिखा जाता है।

10. फर्जी जाति प्रमाण–पत्र धारक व्यक्ति एवं फर्जी जाति प्रमाण–पत्र जारीकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु संबंधित कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है।

प्रदेश में मुख्यालय स्तर पर विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जांच कार्य विजिलेंस सेल द्वारा कराया जा रहा है। 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों एवं शासकीय सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश–नियुक्ति हेतु कुल 106921 आवेदकों को उनके जाति प्रमाण–पत्र की जाँच कर जाति सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रदाय किया गया, जिसमें अनुसूचित जनजाति के 28946, अनुसूचित जाति के 20555 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 57420 जाति प्रमाण–पत्र सत्यापित किये गये।

गलत जाति प्रमाण–पत्रों के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति/चयन संबंधी शिकायतों पर वित्तीय वर्ष 2011–12 में 21 प्रकरणों पर विजिलेंस जांच एवं सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित किया गया।

2.5 अधिसूचित क्षेत्र के लिये विशेष शैक्षणिक योजनाएं :–

1. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना :–

आस्था :– नक्सली हिंसा से अनाथ हुए/प्रभावित बच्चों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दन्तेवाड़ा में "आस्था गुरूकुल विद्यालय" संचालित है। छात्र वर्षभर इस संस्था में रहते है। सभी व्यवस्था निःशुल्क हैं। वर्तमान में 200 विद्यार्थी रह रहे है।

निष्ठा :– नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चों को अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से उनके अध्ययन की व्यवस्था "निष्ठा" के तहत की गई है। वर्तमान में राजनांदगांव में यह व्यवस्था है जहां 135 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

प्रयास :– प्रदेश की राजधानी रायपुर में "प्रयास" नामक 300 सीटर बालक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। विद्यालय में नक्सली क्षेत्र के प्रभावित बच्चों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षणिक वातावरण प्रदान किया जाता है। इस विद्यालय में प्रदेश के 07 नक्सल प्रभावित जिलों के प्रथम श्रेणी के 10वी उत्तीर्ण कुल 266 छात्रों को वर्ष 2010 में प्रवेश दिया गया। शिक्षा सत्र 2011–12 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 250 छात्र सम्मिलित हुए तथा सभी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार परीक्षा परिणात शत प्रतिशत रहा। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.2012) में 222 छात्र शामिल हुए, जिसमें से 151 छात्र परीक्षा में सफल रहे। प्रयास विद्यालय के 02 छात्र क्रमशः बलरामपुर जिले के श्री जयप्रकाश ग्राम भवरमाल ने आई.आई.

टी.–जी.ई.ई. परीक्षा में 780 रैंक प्राप्त किया तथा कोण्डागांव जिले के फरसगांव विकासखंड के छात्र श्री सूर्यप्रकाश नेताम ने 405 रैंक प्राप्त की। दोनों छात्रों ने पेट्रोलियम टेक्नालाजी संस्थान रायबरेली, उत्तरप्रदेश में प्रवेश ले लिया है।

2. जवाहर उत्कर्ष :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्कृष्ठ आवासीय विद्यालयों में 6वीं से 11वीं कक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है। जवाहर उत्कर्ष योजना अंतर्गत विगत 08 वर्षो में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1630 एवं अनुसूचित जाति के 176 छात्र–छात्राओं को इस प्रकार कुल 1806 छात्र–छात्राओं का चयन कर उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षण का लाभ दिलाया गया है। इनमें से अनुसूचित जनजाति के 612 बच्चे 12वी उत्तीर्ण हुए है। 05 आई.आई.टी., 27 एन.आई.टी., 17 मेडिकल, 140 इंजीनियरिंग व 150 एल.एल.बी. आनर्स में प्रवेश प्राप्त कर चुके है।

3. प्री–इंजीनियरिंग एवं प्री–मेडिकल कोचिंग योजना :– कक्षा 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी जिनके पालक आयकरदाता न हों,को बेहतर राष्ट्र स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (आई.आई.टी. तथा एन.आई.टी) में प्रवेश दिलवाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की गई है। पहले ही वर्ष योजना का उत्साहजनक परिणाम देखने को मिला। 36 अनुसूचित जाति, जनजाति विद्यार्थियों के द्वारा प्री.इंजीनियरिंग की कोचिंग ली गई जिसमें से 25 विद्यार्थियों के द्वारा ए.आई.ई.ई.ई. के माध्यम से वे देश के विभिन्न एन.आई.टी. में प्रवेश लिये है।

संवैधानिक संरक्षणात्मक नीति को राज्य में कड़ाई से लागू करने तथा क्षेत्र में आदिवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए योजनाएँ बनाने एवं उनके कारगर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य की यह मंशा है कि योजनाएँ न केवल परिणाम मूलक हो वरन् इनमें पारदर्शिता, सुस्पष्टता तथा गतिशीलता का होना भी आवश्यक है।

नक्सल प्रभावित जिले बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जशपुर जिले में संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया गया है। जिसमें लगभग 2400 छात्र अध्ययनरत है।

4. सरस्वती सायकिल प्रदाय योजना :– महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करने हेतु अनु.जाति, अनु.जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली छात्राओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को कक्ष्झा 8वीं पास कर कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने

पर सायकिल प्रदाय की जाती है। वर्ष 2011–12 में 51074 छात्राओं को सायकिल प्रदाय की गई है।

5. निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना :– प्राथमिक स्तर की अनु.जनजाति एवं अनु.जाति की समस्त बालिकाओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा 1ली से 8वीं तक के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है। वर्ष 2011–12 में अनु.जनजाति, अनु.जाति एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के 5,24,430 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया गया है।

6. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना :– कक्षा 1ली से 8वीं तक की पाठ्यपुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से वितरित की जाती है। विभाग द्वारा 9वीं एवं 10वी की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती है। वर्ष 2011–12 में लगभग 1,33,531 बालिकाओं को उक्त कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क वितरित की गई है।

7. मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों में सतत उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने हेतु पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने एवं प्रतियोगिता की भावना जागृत करना हैं यह पुरस्कार प्रति वर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के 700 एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 300 छात्र–छात्राओं को प्रदान किया जाता हैं।

8. नर्सिंग प्रशिक्षण योजना :– देश–विदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर विकास एवं विस्तार परिलक्षित हो रहे है। शासकीय एवं निजी क्षेत्रों मे अस्पताल, नर्सिंग होम स्थापित होने के फलस्वरूप इनमें योग्य एवं प्रशिक्षित नर्सो की मांग बढ़ने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े है। राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवतियों को बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन की सुविधा दिलाकर रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने हेतु यह योजना वर्ष 2009–10 में प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अध्ययन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं योजनांतर्गत प्रतिवर्ष 400 युवतियों का चार वर्षीय नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष 400 युवतियों का चार वर्षीय नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु चयन किया जाकर प्रशिक्षण हेतु विभिन्न निजी संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाता हैं।

9. छात्र भोजन सहायक योजना :– विभागीय मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष पोषण आहार एवं मेस संचालन के लिए आवश्यक राशि की पूर्ति हेतु रू. 200/– प्रतिमाह प्रति छात्र –छात्रा की दर से सहायता राशि प्रदान किया जाता है।

10. विशेष शिक्षण योजना :– अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों से संबंधित कमजोरी को दूर कर प्राणीण्यता बढ़ाना है जिससे इस वर्ग के छात्र–छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बनाया जाता है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 146 विकासखंडों में संचालित है।

11. कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना :– विभागीय छात्रावासों में निवासरत अनुसूचित जाति/ जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाता है, ताकि वे कम्प्यूटर के बारे मे जानकारी प्रापत कर सी.डी. आदि के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं सूचना आदान–प्रदान की नवीन तकनीकों से परिचित हो सके।

12. स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) :– चिकित्सा सुविधा प्राप्त दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा गंभीर रोग दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत प्रति वर्ष लगभग 60,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है।

13. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण :– आदिवासी संस्कृति के परिरक्षण एवं परिवर्धन की दृष्टि से प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हेतु एक वित्तीय वर्ष में किसी एक जनपद पंचायत से अधिकतम 05 सांस्कृतिक दलों को रू. 10,000/– की सहायता राशि दी जाती है।

14. जनजातियों के पूजा स्थलों (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास योजना :– राज्य के समस्त आदिवासी ग्रामों के अनुसूचित जनजातियों के आदिवासी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करने हेतु श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) ग्राम देवता स्थलों का परिरक्षण एवं विकास करना है। योजना के तहत प्रदेश के 1200 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष 4600 ग्रामों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजना के तहत प्रति ग्राम रू. 25,000/– की सहायता राशि दी जाती है।

2.6 परियोजना सलाहकार मण्डल :–

परियोजना सलाहकार मण्डलों को और सक्षम बनाने के उद्देश्य से शासन के आदेश क्रमांक/एफ–23/4/96/3/25, दिनांक 19.05.97 अनुसार सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डलों को रूपये 10 लाख के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार सौंपे गए तथा सदस्य सचिव, परियोजना अधिकारियों को बनाया गया। इसका गठन निम्नानुसार किया गया है :–

1. अध्यक्ष – राज्य शासन द्वारा मनोनीत। अनुसूचित जनजाति वर्ग का मंत्री विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा जनपद अध्यक्ष।

2. सदस्य – क. जिला पंचायत अध्यक्ष।

ख. परियोजना क्षेत्र के समस्त विधायक यदि कोई विधायक मंत्री हो तो वे सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधि नामांकित कर सकेंगे।

ग. परियोजना क्षेत्र के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष।

घ. जिला पंचायतों के दो आदिवासी सदस्य जिनमें से एक महिला आदिवासी सदस्य होगी। यदि कोई महिला आदिवासी सदस्य न हो तो शासन द्वारा नामांकित आदिवासी महिला।

ञ. परियोजना क्षेत्र में कार्यरत् दो प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष जो आदिवासी समाज के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत् अथवा दो प्रतिष्ठित समाज सेवी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।

च. अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के विशेषज्ञ।

छ. कलेक्टर।

ज. व्यवस्थापक, स्थानीय लीड बैंक।

झ. अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक।

ञ. अध्यक्ष भूमि विकास बैंक।

शासन के आदेश क्रमांक एफ–23725/95/3/25 ए, दिनांक 08.01.98 अनुसार परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि का उपयोग परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डलो के निर्णय अनुसार ही शासन के दिशा निर्देश (1 मई 98) में निहित प्रावधानों पर उपयोग करने में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे।

राज्य शासन चाहता है कि समस्त परियोजना सलाहकार मण्डल विशेष केन्द्रीय सहायता मद से राशि उपयोग में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों को सदैव ध्यान में रखें। विशिष्ट रूप से राज्य शासन की अपेक्षा है कि कोई भी ऐसा कार्य हाथ में न लिए जायें जो विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के विपरीत हों। इस परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित कार्य इस मद से नहीं लिए जा सकेंगे :–

1. ऐसे कार्य जिनमें कोई आवर्ती व्यय निहित हो अथवा अमले पर किसी प्रकार का कोई भी व्यय अनावर्ती अथवा आवर्ती निहित हो।

2. कार्यालयीन सामग्री, कुलर, पंखे, वाहन, मशीनरी, टाइपराइटर अथवा साज–सज्जा पर किसी प्रकार का कोई व्यय।
3. विभाग के सामान्य बजट में स्वीकृत योजना में विद्यमान कमी को पूरा करने के लक्ष्य से किये जाने वाला व्यय।
4. किसी अन्य मद से लिए गए कार्य पर अनुपूरक व्यय।
5. शासन, वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित मदों में से किसी प्रकार का व्यय।

उपरोक्त व्यय प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की अपेक्षा है कि परियोजना सलाहकार मण्डल कार्यों के चयन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करें। राज्य शासन का परामर्श है कि इस मद से केवल ऐसे ही कार्य लेना श्रेयष्कर होगा जो एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण किये जा सकें।

2.7 परियोजना क्रियान्वयन समिति :–

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को सदस्य बनाते हुए परियोजना क्रियान्वयन समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 523/एमएस/76, दिनांक 21 जून 1976 में किया गया था। इसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 98/7 प्र.स./आ.जा.क./90, दिनांक 19.11.98 में परियोजना अधिकारियों के दायित्व के संबंध में निर्देश जारी हुए। इस समिति के निम्न कार्य हैः–

1. परियोजना क्षेत्र के आदिवासी विकास के लिए योजना/प्रोजेक्ट तैयार करना।
2. परियोजना क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा उसमें आने वाली कठिनाईयों को संबंधित विभागों के सहयोग से दूर किया जाना।
3. परियोजना क्षेत्र में किए गए कार्यों में आवश्यक विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
4. परियोजना क्षेत्र एवं जनजातियों के विकास के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय कार्य योजना बनाना। अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य करना।

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि परियोजना क्रियान्वयन समिति की नियमित बैठक हो ताकि परियोजना मद से किये जा रहे कार्यो में आवश्यक निगरानी रखी जा सकें।

2.8 आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन :– वर्ष 2004 में अनुसूचित जनजातियों के सर्वागीण विकास हेतु बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।

प्राधिकरण के गठन का मुख्य उददेश्य प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के लिये प्रावधानित राशियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण की नीति को अपनाना, क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यो की त्वरित स्वीकृति एवं क्रियान्वयन, विकास कार्यो से जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना तथा आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षण है।

(अ) बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :— राज्य शासन द्वारा 3 आदिवासी बाहुल्य जिले क्रमशः बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर तथा दक्षिण बस्तर दंतेवाडा को मिलाकर बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2004 में किया गया तथा वर्ष 2005—06 में राज्य के दक्षिण हिस्से की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों को सम्मिलित कर इसका विस्तार किया गया। वित्तीय वर्ष 2011—12 में इस प्राधिकरण हेतु 5000.00 लाख रू. का प्रावधान रखा गया। जिसके विरूद्ध 888.93 लाख की राशि व्यय की गई।

(ब) सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :— राज्य शासन द्वारा वर्ष 2004—05 में 3 आदिवासी बाहुल्य जिले क्रमशः सरगुजा, कोरिया तथा जशपुर को मिलाकर सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2005—06 में इसका विस्तार करते हुए राज्य के उत्तरी हिस्से के एकीकृत आदिवासी परियोजना के क्षेत्रों को शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2011—12 में इस प्राधिकरण हेतु 3500.00 लाख रू. का प्रावधान रखा गया जिसके विरूद्ध 3490.11 लाख की राशि व्यय की गई।

बस्तर तथा सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण, से उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत प्रमुख कार्य :—

- ✓ आधारभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सी.सी. रोड निर्माण, नाली निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संपादन के लिए सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक भवन एवं रंगमंच निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ आवागमन व्यवस्था को सामान्य क्षेत्रों के समकक्ष लाने के लिए तात्कालिक महत्व के छोटे—छोटे पुल—पुलियों के निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए विद्युत विस्तार एवं असाध्य पंपों के उर्जीकरण के लिए स्वीकृतियां।
- ✓ शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृतियां।

- ✓ पहुंच विहीन क्षेत्र में बारहमासी खाद्यान्न की उपलब्धता हेतु खाद्यान्न के भंडारण के लिये गोदाम निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करने के लिए पुलिस संसाधनों के सुदृढ़ीकरण हेतु बैरक निर्माण, विद्युत व्यवस्था आदि कार्यो की स्वीकृतियां।
- ✓ आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना एवं एयर होस्टेस, एवियेशन हॉस्पीटलिटी तथा होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा योजना।

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :–

प्राधिकरण की बैठकों में क्षेत्रीय मांग पर जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत लिए गए निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

- ➢ अंचल में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन निजी संस्थाओं से हटाकर लैम्पस/पंचायतों/वन सुरक्षा समितियों तथा स्व–सहायता समूहों से कराए जाने का निर्णय।
- ➢ जन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय स्तर पर चलित चिकित्सालय की स्थापना का निर्णय।
- ➢ विकास की गतिविधि को तेज करने तथा प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजापुर तथा नारायणपुर को राजस्व जिला बनाने का निर्णय।
- ➢ अंचल के निवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विकासखंडों को तहसील का दर्जा दिए जाने का निर्णय।
- ➢ प्राधिकरण के निर्देश पर जिला बस्तर के जगदलपुर में एन.एम.डी.सी. के सहयोग से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई।
- ➢ जिला बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर में 39 भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण का निर्णय।
- ➢ प्राधिकरण क्षेत्र के हाट बाजारों में चलित चिकित्सालय के संचालन हेतु मोबाइल वाहन की स्वीकृति का निर्णय।
- ➢ अंचल में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए जिला बस्तर में इन्द्रावती नदी, जिला दंतेवाड़ा के शंखनी नदी तथा जिला कांकेर के दूध नदी में एनीकट निर्माण का निर्णय।
- ➢ स्थानीय युवक जिन्हे बस्तर की भाषा, बोली भौगोलिक क्षेत्र तथा सामाजिक संवेदनाओं का ज्ञान है, पटवारी पद की भर्ती में प्राथमिकता प्रदान का निर्णय।
- ➢ अंचल के विकासखंड मुख्यालयों में 100 सीटर आश्रम शालाओं की स्थापना का निर्णय।

- जिला दंतेवाड़ा में प्राधिकरण एवं एन.एम.डी.सी. के सहयोग से लघु वनोपजों के गोदामीकरण के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।
- जिला बीजापुर तथा नारायणपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने का निर्णय।
- अनुसूचित जनजाति युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना, लाख पालन, शहद पालन, औषधि संस्करण एवं प्रसंस्करण साथ ही राज मिस्त्री क्षमता विकास कार्यक्रम, कम्बल बुनाई प्रशिक्षण तथा एयर होस्टेज, एवियेशन हॉस्पीटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय।
- बस्तर संभाग अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के कुपोषण को दूर करने के लिए 5 रूपए प्रति किलो देशी चना प्रदान का निर्णय।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही अनुसूचित जनजाति युवतियों को निःशुल्क सायकल प्रदाय करने का निर्णय।

सरगुजा एव उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :–

- अंचल में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन निजी संस्थाओं से हटाकर लैम्पस/पंचायतों/वन सुरक्षा समितियों तथा स्व–सहायता समूहों से कराए जाने का निर्णय।
- अंचल के दुर्गम क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने तथा मौसमी बीमारियों जैसे उल्टी–दस्त, पेचिश, मलेरिया से त्वरित गति से निपटने के लिए चलित चिकित्सालय की स्थापना का निर्णय।
- अनुसूचित जनजाति युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शहीद वीर नारायण स्वावलंबन योजना, राज मिस्त्री क्षमता विकास कार्यक्रम, एयर होस्टेस, एवियेशन हॉस्पीटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय।
- कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला सरगुजा के सूरजपुर व बलरामपुर को नया पुलिस जिला बनाया गया है।
- अंचल के निवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विकासखंडों को तहसील का दर्जा दिए जाने का निर्णय।

- अंचल के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, बिरहोर की बसाहटों में 100 व्यक्तियों की आबादी पर ही हैंडपंप लगाए जाने के सिद्धांत पर छूट देते हुए कम आबादी की बसाहटों में हैंडपंप खनन के निर्देश दिए गए। इसके तहत 180 हैंडपंपों की स्थापना की गई।
- बी.पी.एल. आदिवासी परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराए जाने के निर्देश निजी संस्थाओं के साथ शासकीय उपक्रमों जैसे – बाल्को, एस.ई.सी.एल., एन.टी.पी.सी एवं जिंदल प्रबंधन को दिए गए।
- चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए शासकीय चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष तक मेडिकल कालेज के प्राध्यापक चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
- जिला जशपुर में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ करने तथा पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम बनाए जाने की स्वीकृति।
- कोरबा में बाल्को, एस.ई.सी.एल., एन.टी.पी.सी. एवं जिंदल के सहयोग से इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही अनुसूचित जनजाति युवतियों को निःशुल्क सायकल प्रदाय करने का निर्णय।

विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्माण कार्यो की स्वीकृति :–

क्र.	विवरण	बस्तर	सरगुजा
1	सी.सी.रोड, नाली निर्माण	1033	1820
2	सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक भवन	2126	712
3	पुल–पुलिया	463	647
4	शाला भवन, खेल मैदान	293	208
5	स्वास्थ्य, अन्य सुविधाए	155	292
6	पेयजल, सिंचाई सुविधाएं	164	261

अनुसूचित जनजाति– अनुसूचित जाति बहुल अंचलों में विकास के नये प्रयास

नए जिलों का गठन :–

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय 01 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे। जिलों के क्षेत्रफल अत्यधिक होने के कारण जिला प्रशासन की सेवाओं को दूरस्थ गांवों

तक पहुंचाना मुश्किल काम था। इसी तरह जिलों के सीमावर्ती अंचलों में रहने वाले लोगों जिनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बसाहटें ज्यादा है, इन वर्गो की आर्थिक स्थिति सामान्यतः कमजोर होने के कारण अपने छोटे–बड़े कामों के लिये जिला मुख्यालय तक पहुंचना इनकी प्रमुख समस्या थी। कई क्षेत्रों में तो जिला प्रशासन तक पहुंचनें में लोगों को 200 कि.मी. तक सफर करना पड़ता था जिसमें उनका बहुत समय, धन, श्रम खर्च होता था। छत्तीसगढ़ शासन ने छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन के लिए जिलों के युक्तियुक्तकरण का अभियान चलाया। जिसके तहत पहले सन 2007 में 02 नए जिले बनाए गए। इसी तरह जनवरी 2012 से 09 जिले गठित किए गए। इस पूरी प्रक्रिया मे 11 नए जिलों का गठन किया गया है। इसका लाभ मुख्यतः अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लोगों और उनकी बसाहटों को मिलेगा। इस तरह अब राज्य में 16 से बढ़कर 27 जिले हो गए है। जिला मुख्यालय से जिले के अंतिम गांव का दायरा सीमित हो गया है। इससे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मानिटरिंग में सुविधा हुई है। वहीं दूरस्थ गांवों के लोगों को अपनी बात या अपने काम लेकर जिला प्रशासन तक पहुंचना आसान हो गया है।

2.9 अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान :–

संविधान के 73 वां संशोधन एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम–1996 में किये गये प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिये किये गये विशेष उपबंध/प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम–1996 के उपबंध 4 का छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा क्रियान्वयन/पालन–

क्र.	केन्द्रीय अधिनियम में प्रावधान	राज्य शासन द्वारा किये गये प्रावधान
1	प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उस समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिनके लिये संविधान के भाग–9 के अधीन आरक्षण दिया जाना चाहा गया है। परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय–14 ''क'' अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129–ड में निम्न प्रावधान रखे गये है– अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस

	आधे से कम नहीं होगा, परन्तु अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्षें के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होंगे।	पंचायत में उनकी अपनी–अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा। परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। परंतु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।
2	राज्य सरकार ऐसी अनुसूचितम जनजातियों के व्यक्तियों का जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम निर्देशन कर सकेगी, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय–14 ''क'' अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129–ड (2) एवं (3) में निम्न प्रावधान रखे गये है– 3. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा। 4. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ

		मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।
3	ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभारित व्यक्तियों को पुनर्व्यस्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जायेगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यन्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जायेगा।	धारा 170–ख–आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन– (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख को किसी ऐसी कृषि भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ होने वाली और संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारंभ से (दो वर्ष) के भीतर, उपखंड अधिकारी को ऐसे प्ररूप से और ऐसे रीति में, जैसी कि विहित की जाय इस संबंध में समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आई। (2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार जानकारी, उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी कृषि भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है और वह कृषि भूमि पूर्वोक्त कालावधि

		का अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को प्रतिवर्तित हो जाएगी। (2–क)–यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है, कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमि स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी। परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी, जो ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा। (3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाय और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि सम्मत अधिकार से कपट वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य

		घोषित करेगा और उस कृषि भूमि को अंतरण में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनः निहित करने वाला आदेश पारित करेगा।
4	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण के निवारण की ओर किसी अनुसूचित जनजाति की किसी विधिविरूद्धतया अन्य संक्रामित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिये उपयुक्त कार्रवाइ करने की शक्ति	(अ) उक्त प्रावधान के प्रकाश में छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 05.01.98 को संहिता की धारा–170–ख में संशोधन किया गया है। संशोधन द्वारा उक्त धारा में एक नई उपधारा (2–क) जोड़ी गई है, जो निम्नानुसार है– (2–क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जाति के भू–स्वामी की भूमि के कब्जें में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिस को प्रत्यावर्तित करेगीः (ब) परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी जो ऐसी भूमि का कब्जा निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।

❋❋❋❋❋

अध्याय–3

अधिसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अनुमोदन से लागू केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों की जानकारी

1.विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में (विशेष भर्ती अभियान) में प्राथमिकता

छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन 5.एफ 9–8/2002/1/3 रायपुर दिनांक 18.07.2003 द्वारा राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि,छ.ग.राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति (प्रिमिटिव ट्राईब्स) जिसमें पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पंडो जनजाति शामिल है के उम्मीदवार यदि तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) एंव चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करते हों तो उन्हे अनुसूचित जनजाति वर्गो के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के समय चयन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही सीधे नियुक्ति प्रदान किये जाने की विशेष सुविधा दी जावे।

वर्तमान में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के 12 अभ्यार्थियों को शिक्षकर्मी वर्ग 02 (प्रधान पाठक) मे, 260 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग–03 एवं 12 अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी में तथा 1372 अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणियों में इस प्रकार 1656 अभ्यर्थियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति दी गई।

2. राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध बस्तर संभाग हेतु शिथिलीकरण :–

छ.ग.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/772/एफ–3/1/2004/वित्त/ब–4/चार दिनांक 13 मई 2010 के द्वारा राज्य के शासकीय कार्यालयों तथा निगम/ मंडल/ प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं आदि में नियुक्ति पर प्रतिबंध के संबंध में संदर्भित ज्ञाप द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हे। राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि बस्तर संभाग स्थित इन कार्यालयों में सीधी भर्ती के सभी स्वीकृत किंतु रिक्त पदों को संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भरे जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। शेष सभी संभागों हेतु पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

3. बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों से भरने बाबत्

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्र./ एफ–14–53/25–3/2011, दिनांक 09.03.2012 एवं दिनांक 15.03.2012 के द्वारा मुख्य सचिव छ.ग. शासन के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 06.03.2012 द्वारा बस्तर तथा सरगुजा संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों

से जिला संवर्ग की रिक्त पदों की पूर्ति करने के निर्देश दिये गये जिसके परिपालन में तृतीय श्रेणी में 553 एवं चतुर्थ श्रेणी के 3460 रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियों की कार्यवाही की गई।

❋❋❋❋❋

अध्याय – 4

अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विकास की योजनाएँ

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के संरक्षणात्मक तथा विकासात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यापक प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 द्वारा शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की ओर ध्यान दिया गया है। इन वर्गों के हित–संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अनुच्छेद 388 द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त करने तथा अनुच्छेद 339 में मुख्यतः आदिवासी कल्याण हेतु योजनाएं बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है। इन वर्गों के प्रति भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने की दृष्टि से ही अनुच्छेद 15 (2), 17 एवं 25 में विशिष्ट प्रावधान वर्णित है। विधान सभा एवं संसदीय क्षेत्र का आरक्षण अनुच्छेद 334, में एवं अनुच्छेद 335 द्वारा सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं इन प्रावधानों को दण्डात्मक प्रक्रिया द्वारा विशेष प्रभावी भी बनाया गया है।

4.1 वन विभाग :–

4.1.1 बिगड़े वनों का पुनरोद्धार

योजना का उद्‌देश्य भू–जल संरक्षण कार्य करते हुए जड़ भण्डार एवं वृक्षारोपण से क्षेत्र का पुर्नवास करना है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 4500.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 4493.26 लाख का व्यय किया गया।

4.1.2 बांस वनों का पुनरोद्धार

गुथे बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्‌टी चढ़ाई, बिना गुंथे हुए अविकसित भिर्रो में मिट्‌टी चढ़ाई तथा विरल क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण एंव रखरखाव द्वारा सुधार कार्य किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 2460.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 2433.19 लाख का व्यय किया गया।

4.1.3 पर्यावरण वानिकी

इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं अन्य इको टूरिज्म संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। योजनांतर्गत वर्ष 2011–12 में रू. 400.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्व रू. 398.87 लाख का व्यय किया गया।

4.1.4 ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज/ औषधी रोपण

प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या वनक्षेत्रों की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में रहती है। राज्य के वनों में वनौषधि विपुल मात्रा में है, इन क्षेत्रों में औषधि पौधों एवं अन्य लघु वनोपज का संर्वधन एवं विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाता है। योजना जनसहभागिता से क्रियान्वित की जाती है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2011–12 में रू. 580.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्व रू. 564.81 लाख का व्यय किया गया।

4.1.5 संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास

राज्य में वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में जनसहभागिता हेतु संयुक्त वन प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण एवं वन प्रबंधन तकनीकों के विकास के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2011–12 में रू. 200.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्व रू. 174.50 लाख का व्यय किया गया।

4.1.6 लघुवनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना

तेन्दू पत्ता संग्राहकों के परिवार के मुखिया का बीमा कर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 300.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 300.00 लाख का व्यय किया गया।

4.1.7 पौधा प्रदाय योजना

निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने ''पौधा प्रदाय योजना'' प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत किसी भी भू–स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर, उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते हैं। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 60.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 59.79 लाख का व्यय किया गया।

4.1.8 हरियाली प्रसार योजना

कृषकों को उनकी निजी पड़त भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 100.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 99.22 लाख का व्यय किया गया। 10 लाख पौधों के लक्ष्य के विरूद्व 10 लाख पौधों की उपलब्धि रही।

4.1.9 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू–क्षरण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाये रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ''नदी तट वृक्षारोपण योजना'' प्रारंभ की गई है। इस

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 380.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 375.60 लाख का व्यय किया गया।

4.1.10 सामाजिक वानिकी

इस योजना के अंतर्गत गैर वानिकी क्षेत्रों में रोपण कार्य तथा कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 230.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 229.44 लाख का व्यय किया गया।

4.1.11 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

प्रदेश की जैव विविधता को अक्षुण रख उसके सतत् उपयोग से स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में औषधी पौधों एवं अन्य लघु वन उपज के संरक्षण, विकास, संग्रहण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार संबंधी कार्य कराया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 241.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 123.16 लाख का व्यय किया गया।

4.1.12 अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व के वन भूमि के अतिक्रामकों को पट्टा वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा लगाई गई वृक्षारोपण की शर्त की पूर्ति के लिए एवं रिक्त कराए गए अतिक्रमित क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव का कार्य किया जाता है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू. 150.00 लाख का प्रावधान रखा गया था जिसके विरूद्व रू. 144.49 लाख का व्यय किया गया।

4-2 ÅtkZ foHkkx ¼dzsMk@fo|qr eaMy½

4.2.1 (विद्युत मंडल)

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य शासन/केन्द्र शासन के सहयोग से निम्न योजनाएं संचालित है :–

इस योजनांतर्गत आदिवासी उपयोजना मद में वर्ष 2011–12 में पूर्व वर्ष की प्राप्त राशि में से शेष राशि उपलब्ध होने के कारण राज्य शासन के बजट में रू. 1000 का सांकेतिक प्रावधान किया गया हैं पूर्व वर्ष की शेष राशि से रू. 4299.80 लाख का व्यय किया गया। उक्त राशि से 269 अविद्युतीकरण/डी इलेक्ट्रिफाईड ग्रामों का विद्युतीकरण एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 42782 परिवारों को बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदाय किया गया।

(2) कृषि पंपों का ऊर्जीकरण (6758) :—

कृषि पंपों के ऊर्जीकरण को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2011—12 में राज्य शासन के बजट में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत रू. 3150 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 3150 लाख का आबंटन शासन से प्राप्त हुआ एवं प्राप्त राशि का शत—प्रतिशत व्यय उपरोक्त कार्यो हेतु किया गया।

उक्त राशि से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 5399 कृषकों के कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत लाईन विस्तार का कार्य पूर्ण किया गया।

(3) 5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (7305) :—

राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार को 5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंप पर 6000 यूनिट प्रति वर्ष निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है।

वर्ष 2011—12 में इस योजनांतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु रू. 6465 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 6465 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ जिससे अनुसूचित जनजाति श्रेणी के (5 अश्वशक्ति के) 50680 कृषकों को 6000 यूनिट निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया गया। उक्त प्रदाय किये गये विद्युत की दावा राशि रू. 5945.42 लाख राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया।

(4) एकलबत्ती (बीपीएल) कनेक्शनों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान :—

राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यावन करने वाले परिवारों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों में 30 यूनिट प्रति कनेक्शन प्रति माह की दर से निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत राज्य शासन के बजट के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु वर्ष 2011—12 में रू. 3188.60 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 3188.60 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ तथा राज्य के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 525803 उपभोक्ताओं द्वारा 30 यूनिट तक प्रति माह खपत की गई विद्युत की दावा राशि रू. 4335.06 लाख राज्य शासन को प्रेषित किया गया है।

(5) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित आई.ए.पी. योजना :—

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में विभिन्न विद्युतीकरण कार्य हेतु आई.ए.पी. योजनांतर्गत केन्द्र शासन से जिला कलेक्टरों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजनांतर्गत वर्ष 2011—12 में उपलब्ध कराई गई राशि रू.3073.96 लाख के विरूद्ध राशि रू.1554.34 लाख व्यय किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के वर्ष 2011–12 के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण

4.2.2 ग्रामीण विद्युतीकरणः– इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे अविद्युतीकृत ग्रामों एवं मजरे–टोलों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाता है। जो वनबाधित है तथा जिनका पारंपरिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण संभव नही है। वर्ष 2011–12 में रू.474.06 लाख के व्यय से 24 ग्रामों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया गया तथा 21 ग्रामों में पूर्व में स्थापित सौर संयंत्रों की क्षमता बढायी गयी है जिस पर रू.212.12 लाख का व्यय किया गया।

Øडा द्वारा वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के ग्रामों में 1836 नग घरेलू बायोगैस संयंत्र एवं 2 नग संस्थागत बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया गया है जिस पर राज्य शासन द्वारा रू.27.69 लाख का अनुदान दिया गया है।

4.2.3. सौर सामुदायिक प्रकाश संयंत्रः–_राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पुलिस थानों, अर्धसैनिक बलों के कैम्प तथा राहत शिविरों में एवं आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में 2011–12 के दौरान कुल रू.1607.45 लाख के परिव्यय से 125 नग सौर सामुदायिक प्रकाश संयंत्र स्थापित किये गये है जिसमें से रू.293.94 लाख का व्यय शासन द्वारा आबंटित बजट से किया गया।

4.2.4. अनुसूचित जनजाति छात्रावासों एवं आश्रमों का सौर विद्युतीकरणः–वर्ष 2011–12 के दौरान प्रदेश के अविद्युतीकृत क्षेत्रों में स्थित अनुसूचित जनजाति के 76 छात्रावासों/आश्रमों को Øडा द्वारा सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है। जिस पर कुल रू. 625.34 लाख का व्यय किया गया। जिसमें से रू.408.57 लाख का व्यय राज्य शासन के बजट से आबंटित राशि से किया गया। इन छात्रावासों/आश्रमों में सौर विद्युतीकरण हो जाने से निवासरत छात्र–छात्राओं को वर्षा, आंधी तूफान या परीक्षा के दिनों में बिजली गुल होने व लो–वोल्टेज आदि की समस्याओं आदि की समस्याओं से मुक्ति मिली है।

4.2.5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विद्युतीकरणः–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इनक्यूबेटर्स, रेफ्रीजरेटर, एक्सरे एवं इसीजी जैसे विभिन्न यंत्रों के लिये बिजली की आवश्यकता होती है। राज्य में Øडा द्वारा 190 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणाली के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है। इस पर रू.74.00 लाख का व्यय राज्य शासन द्वारा आबंटित बजट से किया गया है।

4.2.6. सोलर कुकरः–_आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत रू.8.77 लाख की लागत से 33 नग सोलर कुकर एवं 2 सोलर स्टिम कुकींग सिस्टम का प्रदाय वर्ष 2011–12 के दौरान किया गया है। सोलर कुकर में तैयार भोजन पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है तथा इन सोलर कुकर से भोजन

तैयार करने में पारंपरिक ईधन की बचत के साथ–साथ पेड़ों की कटाई में कमी आने के कारण पर्यावरण की रक्षा होती है।

4.2.7. ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम :– क्रेडा द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के तहत ग्रामों में उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के ग्रामों में रू.58.76 लाख का व्यय किया गया है।

4.2.8. सोलर पम्पः– छत्तीसगढ़ में अभी भी ऐसे अनेक ग्राम हैं, जो सघन वन क्षेत्र में होने के कारण अविद्युतीकृत है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहॉ नियमित विद्युत प्रदाय की समुचित व्यवस्था नहीं है। प्रदेश के कई लघु एवं सीमांत कृषक विद्युत पम्प की व्यवस्था न होने के कारण खेतों में सिंचाई नही कर पा रहे हैं। इन सौर जलपम्पों का उपयोग सिंचाई के साथ–साथ पेयजल के लिये कर रहे हैं। 2011–12 में 64 सोलर पम्पों की स्थापना की गई जिस पर रू.150.18 लाख का व्यय किया गया जिसमें से राज्य शासन के द्वारा आबंटित बजट से रू.9.40 लाख की व्यय राशि सम्मिलित है।

4.3 महिला एवं बाल विकास विभाग

4.3.1 आयुष्मति योजना :– ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवार की गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली बीमार महिलाओं को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, खण्ड स्तरीय चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400 रूपये तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000 रूपये तक की चिकित्सा सुविधा व पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जाता हैं वर्ष 2011–12 में 21.65 लाख की राशि का व्यय किया गया है।

4.3.2 महिला जागृति शिविर :– महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारो, प्रावधानो तथा योजनाओं के प्रति जागरूक करने हेतु महिला जागृति शिविर आयोजित किये जाते है। योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओ की जानकारी देकर उन्हे जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओ के विरूद्ध महिलाओं को संगठित करना है। वर्ष 2011–12 में 26.92 लाख रूपये की राशि व्यय की गई।

4.3.3 स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान :– महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक स्वयं सेवी संस्थाओं को विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियों के संचालन हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

4.3.4 दिशा भ्रमण कार्यक्रम :– इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सफल महिला स्व.सहायता समूह, सफल उद्यमियों, क्षेत्र विशेष की विशिष्ट उपलब्धियों का अवलोकन कराकर उन्हे प्रोत्साहित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 रू. 80.00 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।

4.3.5 पूरक पोषण आहार व्यवस्था :– पूरक पोषण आहार की चावल आधारित विकेन्द्रीकृत व्यवस्था 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन (चावल, दाल, सब्जी, गुड प्रोसेस्ड सोयाबीन) एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में एक दिन टेक होम राशन पद्धति से पूरक पोषण आहार के रूप में चावल, दाल, गुड़ प्रोसेस्ड सोयाबीन दिया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में 10072.04 लाख की राशि व्यय की गई ।

<u>नेशनल न्यूट्रीशन मिशन अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं हेतु योजना (एनपीएजी)</u> :– नेशनल न्यूट्रीशन मिशन के अंतर्गत योजना आयोग भारत शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में 35 किलोग्राम से कम वजन की किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क प्रति माह 6 किलो अनाज प्रति हितग्राही के मान से प्रदाय किया जाना प्रारंभ किया गया था। राज्य शासन द्वारा मिनीमाता पोषण आहार योजना अन्तर्गत प्रति हितग्राही अतिरिक्त रूप से 4 किलो अनाज अर्थात कुल 10 किलोग्राम अनाज प्रति हितग्राही प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसमें से 4 किलो अनाज पर होने वाले व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जावेगा। योजना का उद्देश्य हितग्राहियों के खानपान की आदतों में सुधार उन्हें पौष्टिक खाद्य पदार्थों का महत्व व उपयोग बताना, कुपोषण से मुक्त करना तथा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर हितग्राहियों के स्वास्थ्य स्तर में निरंतर निगरानी कर अपेक्षित सुधार लाना है।

4.4 कृषि विभाग

जनजातीय अर्थ व्यवस्था प्रमुखतः कृषि आधारित होने के कारण जनजातीय विकास में कृषि विभाग के कार्यक्रमों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। विभाग का प्रमुख उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है ताकि कृषक आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सके। कृषकों के समग्र विकास के लिए भूमि एवं जल प्रबंध, सिंचाई सुविधा में बढ़ोत्तरी, उपयुक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत बढ़ाने, जैविक खाद की उपयोगिता बताने, फसलों की कीटव्याधि सुरक्षा का ज्ञान देने, उन्नत तकनीक का विकास करने एवं कृषकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने, कृषि विस्तार कर्मियों के साथ–साथ कृषकों को भी कृषि की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देने आदि कार्यक्रम कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं।

4.4.1 अक्ती बीज संवर्धन :—यह राज्य पोषित योजना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को आधार एवं प्रमाणित बीज के उपयोग के लिये प्रोत्साहन के उददेश्य से योजना संचालित की गई।

4.4.2 नाडेप :— यह राज्य पोषित योजना है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये अनुसूचित जनजाति के कृषकों को टाका निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रुपये प्रति टाका अनुदान दिये जाते है।

4.4.3 रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना :— यह राज्य पोषित योजना है। आर्थिक रुप से कमजोर आदिवासियों को रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन देने हेतु राज्य के 5 जिले (जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा, जशपुर) योजना क्रियान्वित है। योजनांतर्गत बीज मिनीकिट पर शत प्रतिशत अनुदान ब्रीडर सीड खरीदी हेतु अधिकतम 6500 रु. प्रति क्वि., आधार बीज उत्पादन हेतु 500 रु. प्रति क्वि. प्रदर्शन पर 500 रु. प्रति प्रदर्शन एवं हस्तचलित, बैलचलित यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

4.4.4 राज्य गन्ना विकास योजना :— यह राज्य पोषित योजना है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को भी उन्नत बीज क्रय, टिश्यू कल्चर पौध, पौध संरक्षण यंत्र, आदान सामग्री तथा कृषक भ्रमण एवं गन्ना बीज परिवहन हेतु अनुदान दिया जाता है।

4.4.5 अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत रामकृष्ण मिशन आश्रम ब्रेहबेड़ा नारायणपुर द्वारा सुदूर अंचल में बसे आदिवासी कृषकों को कृषि संबंधी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।

4.4.6 जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन :— अनुसूचित जनजाति के लिये आर्थिक उत्थान के लिये चलाई जा रही नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम योजना क्रियान्वित करायी जा रही है। योजनान्तर्गत जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को निःशुल्क बीज एवं ट्रेक्टर जुताई हेतु प्रोत्साहन किया जाता है।

4.4.7 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :—यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत सूखे की स्थिति निर्मित होने पर बीमित हितग्राहियों को फसल की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है।

4.4.8 मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत नवीन मशीनों का क्रय किया जाता है तथा मशीनों को कस्टम हायरिंग पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। योजना में मशीनों का संचालन, रखरखाव/मरम्मत कार्य किया जाता है।

4.4.9 दंडकारण्य (बस्तर) में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना :– यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत जगदलपुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है। प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त मिट्टी नमूनों का परीक्षण कर परिणाम प्रेषित किया जाता है। साथ ही उचित उर्वरक उपयोग की अनुशंसा किया जाता है। प्रयोगशाला में मिट्टी कूटने हेतु मजदूर लगाये जाते है। रसायन यंत्र उपकरण आदि पर व्यय किया जाता है।

4.4.10 वृष्टि छायाक्षेत्र की इंदिरा खेत गंगा योजना :– यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत आदिवासी कृषकों को सफल/असफल नलकूप खनन पर रुपये 18000 एवं सफल होने पर पंप प्रतिस्थापन हेतु रुपये 25000 कुल राशि 43000 रुपये अनुदान देय है।

4.4.11 शाकम्बरी योजना :– यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को कुआं निर्माण पर 50 प्रतिशत तथा 5 अश्व शक्ति तक के डीजल/विद्युत पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

4.4.12 लघु सिंचाई माइक्रोमाइनर सिंचाई योजनायें :–यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत परकोलेशन टैंक, लघु सिंचाई तालाब तथा वाटर हार्वेस्टिंग टैक का निर्माण किया जाता है।

4.4.13 नलकूप स्थापना पर अनुदान :– यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत नाबार्ड द्वरा अनुमोदित दर पर नलकूप खनन (सफल/असफल) पर 50 प्रतिशत या रुपये 10000 जो भी कम है अनुदान देय है। सफल नलकूप पर पंप प्रतिस्थापन पर 50 प्रतिशत या रुपये 15000 अनुदान जो भी कम हो देय है।

4.4.14 भू–जल संवर्धन योजना :– यह योजना जहां भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है वहां कूप एवं नलकूप के पुर्नभरण कार्य द्वारा भू–जल संवर्धन किया जाता है। यह योजना सभी श्रेणी के लघु सीमांत एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5000 अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

4.4.15 सूक्ष्म सिंचाई योजना :– यह योजना सिंचाई पानी के बेहतर उपयोग एवं उद्यानिकी तथा नगदी फसलों को बढ़ावा देने हेतु सभी श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 5 हेक्टेयर हेतु अनुदान देने का प्रावधान है।

4.4.16 राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना :— यह भारत सरकार की शत प्रतिशत योजना है। योजनांतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये विभागीय कृषि प्रक्षेत्रों पर अ.जा./ अ.ज.जा. कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

4.4.17 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :— यह भारत सरकार की शत प्रतिशत योजना है। योजनांतर्गत कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना स्थानीय जरुरतों/ फसलों के अनुकुल योजनाए तैयार करना कृषि और समवर्गी क्षेत्र में किसानों की आय अधिकतम करना उपज अंतर को कम करना उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रावधान है।

4.4.18 आईसोपाम विकास योजना :— यह भारत सरकार की 75:25 अनुपात की योजना है। इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का फसलों के क्षेत्र में वृद्धि तथा उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित है। उन्नत बीज वितरण उन्नत तकनीकी प्रदर्शन, खण्ड प्रर्दशन, सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर तथा पाईप आदि आदान सामग्री के उपयोग से कृषकों को इसकी खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

4.4.19 मेक्रोमैनेजमेंट वर्किंग प्लान:— यह भारत सरकार की 90:10 अनुपात की योजना है। योजनांतर्गत एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, सतत गन्ना विकास कार्यक्रम, उर्वरकों के संतुलित एवं समन्वित उपयोग, राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र परियोजना, नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख योजना, न्यु इंटरवेशन, एवं कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित है।

नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम :—

कृषि विभाग द्वारा नक्सलवाद प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लिये आर्थिक उत्थान हेतु चलाई जा रही नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2007—08 से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में नक्सलवाद के कारण कृषक अपने गांव एवं अपनी कृषि भूमि से दूर विशेष शिविरों में रह रहे है उन्हें कृषि कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजनांतर्गत जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को निःशुल्क बीज एवं ट्रेक्टर जुताई हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2011—12 में राशि रू. 65.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 65.00 लाख व्यय किया गया।

उद्यानिकी :—

4.4.20 घरेलु बागवानी की आदर्श योजना :– इस योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों को उनके निवास के साथ उपलब्ध भूमि में रोपण हेतु 4 से 5 प्रकार के सब्जी बीज कुल रूपये 25.00 के उपलब्ध कराये जाते हैं ।

वर्ष 2011–12 में 2,00,000 परिवारों को इस योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कुल राशि रू. 50.00 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया, जिसके विरूद्व 49.99 लाख व्यय हुए एवं कुल 2,00,000 परिवार लाभान्वित हुए।

4.4.21 फलोद्यान विकास योजना :– प्रदेश में विभिन्न फलदार वृक्षों का रोपण कर फलोद्यान विकसित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2011–12 में राशि रू. 130.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के साथ 529.30 हे. क्षेत्र में फलोद्यान विकास का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध 128.74 लाख व्यय करते हुए 564.50 हेक्टेयर क्षेत्र में फलोद्यान विकास की उपलब्धि हासिल की गई।

4.4.22 आलू विकास योजना :– विभिन्न सब्जियों में आलू एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विगत वर्षों में आलू के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि परिलक्षित हुई है । राज्य के किसानों में आलू फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आलू विकास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2011–12 में राशि रू. 48.00 लाख के 47.90 लाख व्यय किये गये हैं। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2011–12 में प्रदेश के कृषकों के प्रक्षेत्र पर 9600 आलू प्रदर्शन आयोजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया। जिसके विरूद्ध 9591 परिवार लाभान्वित हुए है।

4.4.23 नर्सरी में उन्नत एव प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम :– प्रदेश के अजजा क्षेत्रों के कृषकों को उन्नत सब्जी बीज उपलब्ध कराये जाने के उद्धेश्य से वित्तीय वर्ष 2011–12 में राशि रूपयें 85.00 लाख के विरूद्ध रूपये 85.00 लाख व्यय हुए। यह कार्यक्रम अजजा क्षेत्र के शासकीय विभागीय रोपणीयों में संचालित किया जाता है। जिसमें आलू एवं अन्य उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया जाकर क्षेत्र के कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

4.4.24 उद्यानिकी प्रशिक्षण योजना :– प्रदेश में अजजा क्षेत्र के कृषकों को उद्यानिकी के उन्नत तकनीकी से अवगत कराने के उद्देश्य से योजना संचालित है। वर्ष 2011–12 में राशि रूपयें 12.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध रूपये 11.85 लाख व्यय हुए।

4.4.25 राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना :–

वर्ष 2005–06 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है। यह योजना केन्द्र पोषित योजना है जिसका संचालन 85 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 15 प्रतिशत राज्यांश के रूप में प्राप्त राशि से होता है। योजनांतर्गत वर्ष 2011–12 में क्रियान्वित कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

1. पौध रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु रोपणियों का विकास
2. फल पौध उत्पादन की योजना
3. कार्बनिक कृषि
4. जल संसाधन स्त्रोतो का निर्माण
5. फसल कटाई के प्रबंध
6. संरक्षित खेती कार्यक्रम
7. प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम
8. अन्य गतिविधियां – (पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार, आई.पी.एम. को बढ़ावा देना, रोग प्रतिरोधक यूनिट शा.क्षेत्र)

4.4.26 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

यह योजना वर्ष 2007–08 से प्रदेश मे संचालित है, योजनांतर्गत सब्जी विकास हेतु 3125 हेक्टेयर, मसाला विकास हेतु 2460 हेक्टेयर, पुष्प विकास के अंतर्गत 131 हेक्टेयर, आई.पी.एम. मे 6400 हेक्टेयर, तथा जैविक खेती 1400 हेक्टेयर तथा संरक्षित खेती के विकास हेतु 2710 यूनिट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जिसकी शतप्रतिशत् पूर्ति हुई है। साथ ही साथ शासकीय क्षेत्र में बाना प्रक्षेत्र रायपुर में 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र में उन्नत बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 मे कुल 92326 कृषक लाभान्वित हुए, जिसमें अजजा के 30160 कृषक एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 65947 कृषक लाभान्वित हुए है।

4.5 पशुपालन विभाग

आदिवासी उपयोजना –

1. 90 प्रतिशत अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना अन्तर्गत 20000 परिवारों को लाभान्वित किया जाना है, जिससे प्रत्येक आदिवासी परिवार को औसतन रू. 31400.00 सालाना आय संभावित है। योजना अन्तर्गत अभी तक 12924 ईकाइयों का वितरण किया गया है। शेष ईकाइयों का वितरण कार्य प्रक्रियाधीन है।
2. 90 प्रतिशत अनुदान पर सूकरत्रयी वितरण योजना अन्तर्गत 1155 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है। अभी तक 608 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना से प्रत्येक हितग्राही को औसतन रू. 24000.00 की सालाना आय होती है। शेष ईकाइयों के वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।
3 शत प्रतिशत अनुदान पर सांडों के प्रदाय योजना अन्तर्गत नस्ल सुधार हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत नस्ल के 452 सांडों का प्रदाय किया जाना है। नस्ल सुधार के

फलस्वरूप क्षेत्र में दुग्धोत्पादन बढ़ेगी। कुल 169 सांड वितरित किया गया है। शेष ईकाइयों का वितरण प्रक्रियाधीन है।

4. 90 प्रतिशत अनुदान पर बकरा प्रदाय योजना अन्तर्गत 4000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है। इस योजना से प्रति ईकाई औसतन राशि रू. 10000.00 सालाना आय होती है। अभी तक 690 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। शेष ईकाइयों का वितरण प्रक्रियाधीन है।
5. बस्तर संभाग में बस्तर एकीकृत पशुधन विकास परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में पशुपालन एवं उद्यानिकी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे आदिवासी परिवार आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर पशुपालन एवं उद्यानिकी मे उन्नति कर रहे है।
6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत राशि रू. 1002.26 लाख व्यय किया गया है। आदिवासी बाहुल्य जिलों में बकरी प्रजाति मे होने वाले संक्रामक रोग पी.पी.आर. के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक टीकाकरण कार्य कराया गया ।

4.6 मत्स्योद्योग विभाग

प्रदेश में जनजाति समुदाय के लोग पारम्परिक रूप से मछली पकडने और खाने के शौकीन है। प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने एवं उनमें अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।

I. जलाषयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग विकास

आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के इन्द्रावती तथा सबरी नदी में प्रतिवर्ष मत्स्य बीज संचयन कार्यो के लिए अन्य प्रभार, अनुरक्षण एवं लघु निर्माण मद में व्यय करने का प्रावधान होता है।

उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत् रू. 63.52 लाख प्रावधानित राशि में से रू. 60.03 लाख व्यय कर उन्नत किस्म के 191.88 लाख स्टे.फ्राई का संचयन कर जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास किया गया।

II. मत्स्य बीज उत्पादन

आदिवासी क्षेत्र के विभागीय मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयों से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन कर विभागीय व निजी क्षेत्र की मत्स्य बीज मांग पूर्ति करना योजना का मुख्य उद्‌देष्य है। उपरोक्त अंतर्गत उपशीर्ष 2405 के तहत् रू. 100.00 लाख प्रावधानित राशि के विरूद्ध रू. 100.00 का व्यय कर आदिवासी क्षेत्रों में 4572 लाख स्टे. फ्राई का उत्पादन कर अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

III. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा

योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राषि रू. 15.00 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर–बराबर अंषदान अर्थात् रू.15.00 केन्द्रांष तथा रू. 15.00 राज्यांष) व्यय का प्रावधान है। अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रू. 50000/– तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रू. 100000/– का बीमा लाभ प्राप्त होता है । इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 6.60 लाख का शत्–प्रतिशत व्यय कर 44000 हितग्राहियों को बीमित किया गया।

IV. षिक्षण–प्रषिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण)

अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रगतिषील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देष के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देष्य से प्रति मछुआरा रू. 2500/– की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रषिक्षण पर व्यय किया जाता है। स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रषिक्षणार्थी रू. 750/– षिष्यवृत्ति, रू. 1500/– आवागमन व्यय तथा रू. 250/– विविध व्यय का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रू.2.00 लाख का शत्–प्रतिशत व्यय कर 78 उन्नत मछली पालकों को राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु भेजा गया ।

V. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है । योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राही को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :–

1–मछुआरों के लिए फुटकर मछली विकय योजना– सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

2–संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता – सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनु. जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आवंटित किए गए हैं, सहायता दी जावेगी।

3–मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 0.5 हे.के संवर्धन पोखर निर्माण हेतु सहायता– शासकीय/कृषकों की भूमि पर 0.5 हेक्टेयर जलक्षेत्र के तालाब का निर्माण कर मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अधिकतम रूपए 3.50 लाख सहायता दी जावेगी ।

4–मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता– सभी वर्ग मत्स्य पालक/मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आबंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव जाल क्रय हेतु रू. 25 हजार की सहायता

तथा मछुआ सहकारी समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट क्रय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

5–मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन – 0.50 हैक्ट. के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रू 0.40 लाख की सहायता प्रति हितग्राही दी जाती है।

6–तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम– तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रू 0.03 लाख की सहायता दी जाती है ।

7–प्रदर्शन इकाई–तालाबों की मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई स्थापना हेतु रू 1.48 लाख (रू 1.11 लाख शासकीय सहायता एवं रू 0.37 लाख हितग्राही अंश) दी जाती है।

8–नदियों में मत्स्याखेट हेतु नाव–जाल – मछुआरों को नदियों में मत्स्याखेट हेतु नाव जाल प्रदाय करने हेतु रू 0.40 लाख तक (रू 0.30 लाख शासकीय एवं 0.10 लाख हितग्राही का अंश) सहायता दी जाती है।

9–तालाबों में चूना प्रयोग– तालाबों की मत्स्य उत्पादकता हेतु चूना का उपयोग हेतु रू.0.02 लाख/हैक्ट. की सहायता दी जाती है।

10–अध्ययन भ्रमण– मत्स्य पालकों का राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम हेतु रू. 0.036 लाख प्रति हितग्राही की सहायता दी जाती है ।

11–कोल्ड चेन निर्माण– मत्स्य कृषकों को मत्स्य का उचित मूल्य दिलवाने एवं मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी मछली उपलब्ध करवाने के उदद्ेश्य से कोल्ड चेन निर्माण हेतु रू 1.00 लाख प्रति इकाई व्यय करने का प्रावधान है। घटक में प्रशीतन उपकरण, विक्रय स्थल तैयार करने आदि पर व्यय किया जाता है।

12–विस्तार सेवाएं– जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर मत्स्य पालन की जानकारी देने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मत्स्य कृषक संगोष्ठि एवं मेले का आयोजन किया जाता है ।

इसके तहत् योजनान्तर्गत रूपये 875.00 लाख का प्राप्त आबंटन के विरूद्ध 874.47 लाख व्यय कर 7450 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अंतर्गत

I. मत्स्य पालन प्रसार

अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को हितग्राही को निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत वस्तु विशेष के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

(अ) झींगा पालन – झींगा पालन हेतु हितग्राही को तीन वर्षों में कुल रू.15000/– की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ब) नाव जाल आबंटन –प्रति मछुआ एक बार रू 10000/–का नाव जाल प्रदाय किया जाता है।

(स) फिंगरलिंग संचयन – हितग्राही को अधिक उत्पादन प्राप्त हो इस उद्देश्य से 6150/– का बड़े आकार का मत्स्य बीज तीन वर्षों में प्रदाय किया जाता है ।

(द) नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य बीज संचयन – नक्सल क्षेत्र के बीजापुर तथा दंतेवाड़ा जिले के 500 हेक्टेयर ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संचयन किया जाता है ।

(इ) मत्स्य बीज संवर्धन – 0.50 हेक्टर के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रूपये 30000/– की सहायता दी जाती है ।

(फ) मछुआरों के लिए फुटकर मछली विकय योजना–सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य विक्रय योजना/कार्यकम तहत् हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है । उक्त योजना/कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त आवंटन रू. 80.00 लाख में से रू. 79.88 लाख का व्यय कर 2020 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/अनुदान दिया गया।

II. मत्स्य पालन प्रसार (मीठा जल जीव पालन विकास अन्तर्गत मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम)

केन्द्र प्रवर्तित योजना तहत् केन्द्रःराज्य (75:25) के आनुपातिक अंषदान से योजना संचालित है, जिसके तहत् ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासी हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना हेतु प्रषिक्षण, आर्थिक सहायता, मत्स्य पालन हेतु तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराना, स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, हैचरी स्थापित करना, फीड–मिल स्थापित करना तथा एकीकृत मत्स्य पालन इकाई स्थापित करने के उद्देष्य से अनुमोदित इकाई लागत के मान से आर्थिक सहायता अनुदान मद से उपलब्ध कराई जाती है

स्थापना व्यय का वहन 100 प्रतिषत राज्य शासन द्वारा किया जाता है जबकि योजना व्यय 75:25 (के:रा) के अनुपात में वहन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि रू.75.00 लाख में से आवंटन राशि रू. 37.08 लाख प्राप्त जिसमें से रूपये 37.08 लाख व्यय किए गए । योजना

के कार्यक्रमों अंतर्गत 389 हितग्राहियों को ऋण राशि रू.155.17 तथा 37.08 लाख का अनुदान वितरण कर लाभान्वित किया गया ।

III. षिक्षण और प्रषिक्षण

जनजाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीक एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रषिक्षण तहत 15 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रषिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राषि व्यय की जाती है । प्रति प्रषिक्षणार्थी प्रषिक्षण व्यय रू. 1250/– स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रू. 50/– प्रतिदिन प्रति प्रषिक्षणार्थी के मान से षिष्यवृत्ति, रू. 400/– की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रू. 100/– विविध व्यय अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 9.25 लाख में से 9.23 लाख व्यय कर 740 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

IV. मछुआ सहकारिता

आदिवासी जाति मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देष्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राषि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर आयटमवार अधिकतम सीमा के अध्ययीन लगातार 3 वर्षो में रू. 25000/– तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किया जाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रावधानित राशि 3.00 लाख में से शत्–प्रतिशत व्यय कर 36 समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया।

4.7 संस्कृति विभाग –

पुरखौती मुक्तांगन संकल्पना –

राज्य की संस्कृति, परंपरा, पुरातत्व, पर्यावरण और जीव–सृष्टि की सन्निधि में विकास की कल्पना को साकार करने हेतु पुरखौती मुक्तांगन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और राज्य के पारंपरिक शिल्पियों के द्वारा इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आकार प्रदान करने का संकल्प जीवन्त हुआ। पुरखौती मुक्तांगन रायपुर से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर ग्राम – उपरवारा में लगभग 200 एकड़ भूमि पर आकार ग्रहण कर रहा है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरखौती मुक्तांगन के प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया, लोकार्पण समारोह में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने निर्माणाधीन इस योजना की सराहना की। राज्य की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के परिसर में माननीय मुख्यमंत्रीजी के हाथों पारंपरिक पौधों का रोपण कर शिल्प ग्राम निर्माण का संकल्प लिया गया। इस योजना के निर्माण कार्य हेतु

ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग, अभनपुर एवं वन विभाग को क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में दायित्व सौंपा गया है।

लगभग 200 एकड़ परिक्षेत्र में फैला पुरखौती मुक्तांगन शैक्षणिक केन्द्र होगा जिसमें छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, कलाशिल्प, प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण और जैव विविधता को प्रदर्शित करने हेतु विकास कार्य संपन्न कराये जा रहे हैं जिसका लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। महामहिम द्वारा पुरखौती मुक्तांगन की इस अवधारणा की सराहना की गई है।

प्रथम चरण के विकास कार्य में वर्ष 2010–11 से अब तक उक्त कार्य भव्य प्रवेश द्वार, पर्यटन सूचना केन्द्र, पाथ–वे, माड़ियापथ, बैगा चौक, देवगुड़ी, छत्तीसगढ़ हाट, आभूषण पार्क, छत्तीसगढ़ी चौक, जनजातीय पारंपरिक शेड, मनोरंजक उद्यान गृह, सड़क एवं जल–निकास, लौह शिल्पियों की कार्यशाला एवं भित्तिचित्र निर्माण, सरगुजा की भित्तिचित्र का पारंपरिक जाली निर्माण, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का निर्माण, चारदीवारी निर्माण, छत्तीसगढ़ का मानचित्र का निर्माण जिसमें छत्तीसगढ़ के विभूतियों को दिखाया गया है। भू–दृश्य सौंदर्यीकरण एवं विद्युत साज–सज्जा आदि कार्य संपन्न किये जा चुके हैं।

वर्ष 2011–12 में पर्यटकों की संख्या एक लाख ऊपर रही एवं शासन के खजाने में राजस्व के रूप में राशि रू. 2.00 लाख जमा किए गए। इस वर्ष महत्वपूर्ण पर्यटकों में से प्रमुख रहे– राष्ट्रमण्डल के माननीय संसदीय 200 सदस्यों का दल, गिनी राष्ट्र के प्रथम महिला एवं उनके साथ आए मंत्रीमण्डल के 15 सदस्य, छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय 60 सदस्यों का दल, बिहार एवं झारखण्ड के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 40 प्रशिक्षु अधिकारी, भारतीय वन सेवा के 45 प्रशिक्षु अधिकारियों का आगमन हुआ है एवं उन्होंने पुरखौती मुक्तांगन के स्वरूप की प्रशंसा की। इस प्रकार पुरखौती मुक्तांगन परिसर को जो भारत में पर्यटन के साथ–साथ सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक केन्द्र के रूप में आकार ले रहा है।

योजनांतर्गत वर्ष 2011–12 में राशि रू. 300.00 लाख का प्रावधान था जिसमें से राशि रू. 263.74 लाख व्यय हुए। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में राशि रू. 330.00 लाख का बजट प्रावधान है तथा निर्धारित भौतिक लक्ष्य 18 रखा गया है।

4.8 गृह विभाग (पुलिस)

4.8.1 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजातियों के लिए कई विधायी सुरक्षा के उपाय किये गये हैं। राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों के उत्पीड़न का त्वरित निवारण करने के लिए पुलिस मुख्यालय में अ.जा.क.शाखा कार्यरत है । यह शाखा पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक के नियंत्रण में है।

4.8.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों के विचारण के लिए जिला–बस्तर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं सरगुजा में विशेष न्यायालयों द्वारा अ.जा.क. से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

4.8.3 राज्य में 13 अ.जा.क. थाने क्रमशः जिला–रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर, कोरबा में तथा शेष अन्य 14 जिलों में क्रमशः– धमतरी, बेमेतरा, मुंगेली, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा में अ.जा.क. प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है, प्रत्येक अ.जा.क. थाना एवं प्रकोष्ठ में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना की जा रही है।

4.8.4 अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 15 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के लिए शासन द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त किये गये हैं।

4.8.5 अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 की धारा 21 में नये प्रावधान के अनुसार अपराधों के अन्वेषण और विवेचना के दौरान साक्षियों को यात्रा व्यय एवं भरण–पोषण व्यय की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा आकस्मिकता योजना नियम–1995 के नियम–15 के अंतर्गत की गई है।

4.8.6 पुलिस द्वारा अत्याचार से पीडित व्यक्तियों के आर्थिक/सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास एवं राहत हेतु आकस्मिकता योजना नियम 1995 जो मार्च 1996 से प्रभावशील है के अंतर्गत राहत प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु जिलाध्यक्षों को भेजे जाते हैं।

4.9 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागः–

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन कर कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकना, कृषकों की कृषि उपज का समर्थन मूल्य पर उपार्जन, लेव्ही चावल का उपार्जन, नाप–तौल की कमी से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन कर उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करना है।

4.9.1 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना –

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न के आबंटन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या 18.75 लाख मान्य की गई है एवं इस संख्या के आधार पर ही खाद्यान्न का आबंटन दिया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2006–07 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 23 लाख निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा था, जिसमें 7.19 लाख अन्त्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवार भी सम्मिलित थे । ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सभी परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न प्रदाय करने में समस्या हो रही थी। भारत सरकार से राज्य के खाद्यान्न आबंटन में वृद्धि करने हेतु निरंतर अनुरोध करने के बावजूद वृद्धि नहीं की गई, ऐसी स्थिति में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को स्वयं के व्यय से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अप्रैल, 2007 से ''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना'' प्रारंभ की गई। इस योजना के निम्नलिखित हितग्राही है

1. वर्ष 2002 के ग्रामीण एवं वर्ष वर्ष 2007 के नगरीय बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित सभी पात्र परिवार (अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल हितग्राहियों को छोड़कर)
2. वर्ष 1991 एवं वर्ष 1997 के बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित ऐसे राशनकार्डधारी जिनके नाम वर्ष 2002 के ग्रामीण एवं वर्ष 2007 के नगरीय बी.पी.एल. सर्वे में आने से छूट पाए है।
3. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र हितग्राही जिन्हे बी.पी.एल. अन्त्योदय अन्न योजना अथवा अन्नपूर्णा योजना का राशनकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।
4. राज्य शासन द्वारा चिन्हांकित प्रदेश के निःशक्तजन।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत अप्रैल 2007 से लागू होने से राज्य के शेष निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत शामिल सभी 8.87 लाख अन्त्योदय हितग्राहियों को 1.00 प्रति हितग्राही शेष 23.42 लाख बी.पी.एल. हितग्राही में जुलाई, 2009 से 2.00 रूपए किलो की दर से चावल वितरित किया जा रहा है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विगत वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत राशि 166682.00 लाख व्यय किये जा चुका है।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजनांतर्गत प्रदेश के 12.32 लाख आदिवासी अनुसूचित जनजाति परिवारों को राशनकार्ड जारी किया जाकर रियायती दर पर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा हैं।

4.9.2 अन्त्योदय अन्न चना योजनांतर्गत चना का प्रदाय :–

बस्तर संभाग के 7 जिले के समस्त बीपीएल एवं अन्त्योदय राशनकार्डधारियों को जून 2011 से प्रतिमाह 1 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 07.09.2012 को ली गई विभागीय समीक्षा बैठक में राज्य के सभी 85 अनुसूचित विकासखंडो में बीपीएल/एमकेएसवाय हितग्राहियों को प्रतिमाह 2 किलो चना प्रदाय करने तथा शेष विकासखंडों में पीली मटर दाल वितरण का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में राज्य के 85 अनुसूचित विकासखंडों में बीपीएल/एमकेएसवाय के 15.11 लाख कार्डधारी है। अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2.11 लाख नए राशनकार्ड जारी होंगे। इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष में अनुसूचित विकासखंडों में बीपीएल/एमकेएसवाय के कुल हितग्राहियों की संख्या 17.22 लाख अनुमानित है। इन हितग्राहियों को 2 किलो प्रतिकार्ड के मान से वितरण हेतु वित्तीय वर्ष में 41.328 टन चना की आवश्यकता होगी।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत राशि 1200.00 लाख रूपए व्यय किया जा चुका है।

4.9.3 अन्त्योदय अन्न योजना –

यह योजना अति गरीब परिवारों के लिये मार्च 2001 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को रूपए 1.00 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है । राज्य को योजनांतर्गत प्रतिमाह केन्द्र शासन से 25,162 मीट्रिक टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है। योजना पर समस्त आनुषांगिक व्यय एवं दुकानों को देय कमीशन राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विगत वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत 2412.00 लाख लाख रूपए व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में इस योजनांतर्गत 8.87 लाख राशन कार्डधारी लाभान्वित हो रहे हैं जिसमें से 3.81 लाख राशनकार्ड अनुसूचित जनजाति परिवारों को जारी किया जाकर समस्त राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 35 किलो चावल प्रदाय किया जा रहा हैं

4.9.4 अन्नपूर्णा योजना –

यह योजना राज्य में अक्टूबर, 2001 से लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते है किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। योजना पर समस्त आनुषांगिक एवं परिवहन व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विगत वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत राशि 16.00 लाख रूपए व्यय किया जा चुका है।

वर्तमान में इस योजना अंतर्गत 22323 राशन कार्डधारी लाभान्वित हो रहे है जिसमें से 9085 राशनकार्ड अनुसूचित जनजाति परिवारों को जारी किया जाकर समस्त राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा हैं।

4.9.5 रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान :–

इस योजना अंतर्गत राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो आयोडीनयुक्त नमक प्रति कार्ड वितरित किये जाने का प्रावधान है एवं वितरण में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है जिसका भुगतान वितरण एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को किया गया हैं।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विगत वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत राशि 4856.00 लाख रूपये व्यय किया जा चुका है।

इस योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रदेश के 12.32 लाख आदिवासी अनुसूचित जनजाति परिवारों को राशनकार्ड जारी किया जाकर प्रतिमाह 02 किलोग्राम नमक निःशुल्क दिया जा रहा है।

4.10 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग :–

4.10.1 छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, जिसके 10 से ज्यादा जिले आदिवासी क्षेत्र हैं। यह ध्यान में रखते हुए ही समस्त योजनाएं तैयार की जाती हैं। योजनाओं के सभी घटक विशेष रूप से आदिवासी जनसंख्या पर केन्द्रित होती है। इसके अतिरिक्त पी. आई. पी. में विशेष आदिवासी योजनाएं बनाई जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर तथा हाट बाजार का संचालन शामिल है। अन्य कार्यक्रमों के मामले में आदिवासी क्षेत्रों को माना जाता है कि जैसे इस वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में बिना बिजली वाले 200 से अधिक उप केन्द्रों को सोलर बिजली दिये जाने का प्रस्ताव था। जटिल क्षेत्रों में सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए सी.

आर.एम.सी. की सुविधा बढ़ाई गई है ताकि आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कर्मचारी प्रेरित हो। कार्यक्रम प्रबंधन स्टाफ की गतिविधियों में आरक्षण का प्रावधान है।

बुनियादी सुविधाओं का विकास –

- आदिवासी जिला अस्पतालों में 12 स्वीकृत केन्द्रों में से 06 MCH केन्द्र (इकाई लागत 15 करोड़)
- आदिवासी जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 23 स्वीकृत केन्द्रों में से 12 MCH केन्द (इकाई लागत 09 करोड़)
- समस्त आदिवासी जिलों में दवा गोदाम की स्वीकृति दी गई।
- आदिवासी जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 108 सोलर हैंड पंप स्वीकृत किया गया।
- समस्त जिलों में ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12 नये ब्लड बैंक स्वीकृत किया गया।
- बस्तर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के उन्नयन हेतु 1 करोड़ एवं सुकमा जिला चिकित्सालय के उन्नयन हेतु 25 लाख रू स्वीकृत किया गया।
- आदिवासी जिलों में निरंतर बिजली सप्लाई की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु 255 सोलर सिस्टम स्थापित किया गया।

पोषण पुनर्वास केन्द्र –(NRC)

राज्य में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच गंभीर तीव्र कुपोषण के सुविधा आधारित प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रोग एवं मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण कारक गंभीर तीव्र कुपोषण है। राज्य सरकार के द्वारा इस ओर पहल किया गया है एवं राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में तीव्र कुपोषित बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाने एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) संस्थानों को मापन किया जा रहा है। राज्य में पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया गया है जहां कुपोषण से पीड़ित बच्चों की भर्ती एवं देखरेख की जाती है। यहां बच्चों को निर्धारित मापदंडो के अनुरूप भर्ती की जाती है तथा चिकित्सा एवं पोषक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए नये कदम –

1. बस्तर एवं सरगुजा मंडल में (बस्तर के लिए 541 एवं सरगुजा के लिए 749) संस्थागत प्रसव को बढ़ाने एवं प्राथमिक सेवाओं को बल देने के लिए प्रति पंचायत 1 ANM (Auxiliary Nurse Midwife) की स्वीकृति।
2. आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत नर्स एवं डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि।
3. आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण एवं मच्छर दानी हेतु राज्य बजट संसाधनों से प्रावधान।
4. आदिवासी क्षेत्रों हेतु विशेष 30 वाहन चिकित्सा स्टॉफ युक्त चलित चिकित्सा इकाई का आरंभ।
5. आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के इलाज एवं देखभाल सुनिश्चित करने के लिए 20 स्वीकृत पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) में से 18 नये पोषण पुनर्वास केन्द्र।
6. आदिवासी क्षेत्र, जो मलेरिया प्रभावित क्षेत्र चिन्हित क्षेत्र में अवस्थित है में प्रयोगशाला एवं चिकित्सा सुविधा को बल देने हेतु, का 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नये कदम –

- स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी चिकित्सा प्रदाता के समान सुविधा जैसे विशेषज्ञ सेवा एवं रोग निदान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) नीति को स्वीकृति दी गई।
- इस वर्ष राज्य में संस्थागत प्रसव नवजातों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु बीमार बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को लाने और ले जाने हेतु एक समर्पित एंबुलेंस (102 सेवा) सेवा प्रारंभ किया जायेगा।
- कॉल आधारित सेवा देने के लिए 104 परामर्श सहायता सेवा प्रारंभ किया जाएगा।
- सरकारी संस्थानों में प्रसव को बढ़ावा देने एवं नवजातों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए नवजातों को विशेष सामान जैसे – ब्लैंकेट, कपड़े, चादर, छोटे मच्छर दानी इत्यादि प्रदान किये जा रहे हैं।
- समस्त स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आयुष डॉक्टर, डेन्टिस्ट, ANM & MPW की एक समर्पित टीम के द्वारा किया जाता है।
- मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु सभी ब्लाकों में डेन्टिस्ट सेवा दिया जाना है।

आदिवासी क्षेत्रों में चुनौतियां –

- स्वीकृत पदों के 80% तक मानव संसाधनों जैसे योग्य विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों की कमी।
- बुनियादी सुविधाओं जैसे बिल्डिंग एवं स्टॉफ क्वार्टर की कमी।
- आदिवासी क्षेत्रों की सुदुरता एवं कानून व्यवस्था की समस्या सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन को रोकती है।

4.10.2 **संक्रामक रोगों की रोकथाम** :– राज्य की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर संक्रामक रोगों का प्रकोप विशेष रूप से डी.व्ही.डी. पीलिया एवं मस्तिष्क ज्वर हमेशा से रहा है जिस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में एवं विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल के स्त्रोतों के अन्तर्गत कुओं, हैंण्डपम्पों एवं पारंपरिक जल स्त्रोतों को चिन्हांकित कर ब्लीचिंग पावडर, क्लोरिन टेबलेट से जल शुद्धिकरण करने का कार्य किया गया। प्रदेश के समस्त ग्रामों, मजरे/टोलों में डिपो होल्डर बनाकर उन्हें आकस्मिक उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन–रक्षक औषधियां उपलब्ध करायी गई। 18 जिलों के समस्या मूलक एवं पहुंच विहीन ग्राम को चिन्हांकित कर वर्षाकाल के पूर्व ही आवश्यक औषधियों का भण्डारण किया गया। सूचना तंत्र को सशक्त करने के उद्देश्य से लिंक वर्करों को प्रशिक्षित कर ग्रामों में सूचना एकत्र करने एवं संचित करने के लिए तैनात किया गया है। महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं खण्ड स्तर पर काम्बेट टीमों का गठन एव नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये एवं इसके परिणामस्वरूप आम लोगों में इन बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज के प्रति जागरूकता पैदा हुई।

4.10.3 **जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना** :– इस योजना के तहत प्रदेश के 48 आदिवासी विकासखण्डों के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये है। प्रायः देखा गया है कि आदिवासी हाट बाजारों में जरूर उपस्थित होते अतः बाजारों में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

4.10.4 **इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना** :– राज्य में भौगोलिक रूप से कई गांव इतने दूर दराज में हैं कि इन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना कठिन है, राज्य में 20,379 गांव एवं लगभग 54,000 टोला और 3818 उप–स्वास्थ्य केन्द्र है। इनमें बरसात में कई अगम्य हो जाते है। अतः स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के लिए इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना की शुरूआत की गई है। जिससे दूर दराज के मजरे टोले में रहने वाले बच्चे–बूढ़े, महिला,

पुरूष तथा अन्य पिछड़े वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बन सके। इस चिकित्सा व्यवस्था का उद्देश्य है कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान गांव के स्तर पर गांव के द्वारा ही किया जाये। इस योजना अंतर्गत 60,000 मितानिन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन को मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना अंतर्गत दवा किट उपलब्ध कराई जाती है जिसकी रिफलिंग प्रत्येक दो माह में की जाती है।

4.11 जनशक्ति नियोजन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के समय संचालनालय के अधीन राज्य के 16 जिलों में 44 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उपरान्त वर्तमान में 27 जिलों में 108 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें संचालित है। इन संस्थाओं में भारत शासन श्रम मंत्रालय, महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली शिल्पकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 28 तकनीकी एवं 12 गैर तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि छः माह, एक वर्ष एवं दो वर्ष है। राज्य में संचालित 108 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में संचालित हैं जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 7104 आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता है।

- ✓ नवीन संस्थायें :– वित्तीय वर्ष 2011–12 में सुदूर आदिवासी बहुल क्षेत्रों कमशः मानपुर जिला– राजनांदगाांव, भानपुरी एवं माकड़ी जिला – बस्तर, आरा जिला –जशपुर एवं चेन्द्रा जिला –सूरजपुर सहित धमधा एवं गुण्डरदेही जिला – दुर्ग में राशि रू. 15.00 करोड़ की लागत से 07 नवीन आई.टी.आई. स्थापना। इससे प्रतिवर्ष लगभग 1400 अतिरिक्त युवा तकनीकी प्रशिक्षण से लाभान्वित होंगे।
- ✓ संस्था भवन :– वित्तीय वर्ष 2011–12 में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वयं के भवन विहीन संचालित 06 संस्थाओं लोहण्डीगुड़ा, रामानुजगंज, बगीचा, चारामा, भटगांव, राजपुर में राशि रू.211.80 लाख प्रति संस्था के मान से भवन निर्माण के लिये राशि रू. 3.00 करोड़ बजट प्रावधान।
- ✓ छात्रावास भवन :– राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित 24 आई.टी.आई. में 26 बालक/बालिका छात्रावास भवन निर्माण के लिये राशि रू. 7.00 करोड़ बजट प्रावधान।
- ✓ नक्सल प्रभावित 07 जिलों कमशः– राजनांदगांव, उत्तर बस्तर, बस्तर, दक्षिण बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर एवं सरगुजा में केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत एक–एक आई.टी.आई. एवं

दो–दो स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना के लिये राशि 46.00 करोड़ का बजट प्रावधान।

- ✓ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस :– विश्व स्तरीय बहुकौशलीय कामगार तैयार करने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 18 संस्थाओं क्रमशः बिलासपुर, कुरूद, बस्तर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, डौंडीलोहारा, भिलाई, दुर्ग, बलौदा बाजार, गौरेला, बालोद, डोंगरगढ़, गरियाबंद, गीदम, कांकेर, बिल्हा, खम्हरिया एवं केशकाल का सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन। जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1800 अतिरिक्त युवा बहुकौशलीय प्रशिक्षण से लाभान्वित।
- ✓ आधुनिक युग मे कम्प्यूटर के बढ़ते उपयोग एवं रोजगार/स्वरोजगार के क्षेत्र में कम्प्यूटर के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए आई.टी.आई. के सभी प्रशिक्षणार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ✓ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति में वृद्धि कर क्रमशः छात्रावासी को रू. 450/– एवं गैर छात्रावासी को रू. 230/– प्रतिमाह किया गया। इसी प्रकार छात्रावासी प्रशिक्षणार्थियों को भोजन सहाय योजनांतर्गत रू. 200/– प्रतिमाह अतिरिक्त भोजनवृत्ति प्रदान की जा रही है।

<u>प्रस्तावित नवीन योजनायें :–</u>

- ➢ नवीन संस्थायें :– शासकीय आई.टी.आई विहीन सभी 61 विकासखंडों में चरणबद्ध रूप से आई.टी.आई की स्थापना जिसमें वित्तीय वर्ष 2011–12 में 27 नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। जिससे लगभग 5400 अतिरिक्त युवा आधुनिक तकनीकी पर आधारित तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे।
- ➢ संचालित सभी आई.टी.आई. में उपलब्ध अधोसंरचना के पूर्ण उपयोग की दृष्टि से स्थानीय मांग के अनुरूप अतिरिक्त व्यवसायों में चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण प्रारंभ करना।
- ➢ नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में संचालित 10 आई.टी.आई. में स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 13 अतिरिक्त पाठ्यक्रम (व्यवसाय) में प्रशिक्षण प्रारंभ करना।
- ➢ सभी जिला मुख्यालयों में आई.टी.आई. एवं महिला आई.टी.आई. की स्थापना करना।
- ➢ प्रशिक्षणार्थियों की सुविधा एवं गरीब बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने प्रोत्साहित करने के सभी आई.टी.आई. में छात्रावास की सुविधा प्रदान करना। प्रथम चरण में जिला

स्तर पर संचालित सभी आई.टी.आई. में बालक एवं बालिका छात्रावास भवन निर्माण प्रस्तावित।

- किराये/अन्य शासकीय भवन में संचालित समस्त आई.टी.आई. का भवन निर्माण करना प्रस्तावित।
- सरगुजा जिले में राजस्थान विद्युत मंडल तथा रायगढ़ जिले में जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड द्वारा कोयला उत्खनन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के विस्थापितों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये कम से कम 08 व्यवसायों के साथ एक–एक आई.टी.आई. के साथ–साथ शार्ट टर्म कोर्सेस में प्रशिक्षण संचालन संबंधी कार्यवाही प्रचलित।
- एन.टी.पी.सी. कोरबा के सहयोग से कटघोरा में तथा एन.टी.पी.सी. सीपत के सहयोग से बलौदा (चारपारा) में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ करने कार्यवाही प्रचलित।

पब्लिक प्रायवेट पार्टनशीप योजनांतर्गत संस्थाओं का उन्नयन :– पब्लिक प्रायवेट पार्टनशीप योजनांतर्गत विभिन्न औद्योगिक समूहों के द्वारा राज्य की 41 संस्थाओं का उन्नयन हेतु सहमति दी गई है, जिनमें मेसर्स जिंदल पावर एंड स्टील रायगढ़, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) कोरबा तथा एस.सी.सी.जामुल आदि प्रमुख है। इस योजनांतर्गत संस्थाओं के उन्नयन के लिये केन्द्र शासन द्वारा प्रति संस्था को राशि रू. 2.50 करोड़ का ब्याज रहित दीर्घकालिक अग्रिम प्रदान किया गया हैं उक्त योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में संचालित 16 संस्थायें भी सम्मिलित है।

4.11.1 तकनीकी शिक्षा :–

- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत संचालित शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के परिचालन एवं अन्य व्यय सम्मिलित है ।
- प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को विशेष कोचिंग के माध्यम से अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर छात्रों को लाभ दिया जाता है ।
- प्रदेश में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को बुक बैंक योजना का लाभ दिया जाता है ।
- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत संचालित शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के प्रयोगशालाओं के उन्नयन कार्य हेतु आधुनिक मशीन उपकरण क्रय कर छात्रों को प्रायोगिक कार्य कराया जाता है ।

- आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत संचालित इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक संस्थाओं के भवन निमार्ण कार्य संपादित किया जाता है ।

4.12 सहकारिता विभाग

प्रदेष के अन्तर्गत पंजीकृत जिला बैकों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/ प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों एवं अन्य सहकारी समितियों को व्यवसाय विकास हेतु आर्थिक सहायता (धनवेष्ठन/अनुदान/ऋण) उपलब्ध कराया जाता है। जिससे बैंको/ संस्थाओं के कृषक सदस्यो को लाभांवित किया जा सके।

प्रदेष में 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, 12 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, 122 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां एवं 03 सहकारी शक्कर कारखाना पंजीकृत है। इन समितियों/उनके सदस्यो को निम्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभांवित किया जाता है :–

1. अंषक्रय अनुदान :– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु अंषक्रय हेतु अनुदान दिया जाता है।

   वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 51000 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के सदस्यो को अंषक्रय हेतु अनुदान देकर लाभांवित किया गया।

2. प्रबंधकीय अनुदान :–इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 437 आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

3. वैद्यनाथन कमेटी की अनुषंसा अनुसार आर्थिक सहायता :–प्रदेष के सहकारी बैकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों मे प्रो. वैद्यनाथन कमेटी की अनुषंसाएं लागू किये जाने बाबत् राज्य शासन के हिस्से की राषि उपलब्ध कराया जाता है।

   राज्य शसन के हिस्से की पूर्ण राषि उपलब्ध कराये जाने के कारण वर्ष 2011–12 में राषि उपलब्ध नही कराया गया है।

4. कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान :–इस योजना के अन्तर्गत प्रदेष शासन द्वारा प्रदेष के सहकारी कृषि ऋणो पर कृषको को 3 प्रतिषत दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ब्याज के अन्तर की राषि राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में लगभग 358126 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषक सदस्यो को लाभांवित किया गया।

5. केन्द्रीय सहकारी बैकों की अंषपूंजी में धनवेष्ठन :– इस योजना के अन्तर्गत प्रदेष के जिला सहकारी बैको की अंषपूंजी मे राज्य शासन द्वारा निवेष किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 02 जिला केन्द्रीय बैंक जगदलपुर एवं अंबिकापुर की अंषपूंजी में निवेष किया गया।

6. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियो के अंषपूंजी में धनवेष्ठन :– इस योजना के अन्तर्गत प्रदेष के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की अंषपूंजी मे राज्य शासन द्वारा निवेष किया जाता है।

   वित्तीय वर्ष 2011–12 में 171 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की अंषपूंजी में निवेष किया गया।

7. सहकारी शक्कर कारखाना को ऋण :– इस योजना के अन्तर्गत प्रदेष मे स्थापित सहकारी शक्कर कारखाना को स्थापना एवं व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

   वित्तीय वर्ष 2011–12 में सहकारी शक्कर कारखाना अंबिकापुर को गन्ना पेराई हेतु कार्यषील पूंजी राषि रू. 1400.00 लाख ऋण उपलब्ध कराया गया।

4.13 समाज कल्याण विभाग

4.13.1 निःशक्तजन छात्रवृत्ति एवं वृत्तियां :– अनुसूचित जन जाति वर्ग के निःशक्त विद्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालय स्तर कक्षा 5 वीं तक रूपये 50/– प्रतिमाह, पूर्व माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 वीं तक रूपये 60/– प्रतिमाह, उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 वीं तक रूपये 70/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

40 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर कक्षा 9 से 12 वीं एवं आई.टी.आई. तक दैनिक छात्र 85 रू., छात्रावासी रू. 140 रू., स्नातक दैनिक छात्र स्तर तक 125 रू., छात्रावासी 180 रू. तथा स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक स्नातक दैनिक छात्र 170 रू. छात्रावासी 240 रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2011–12 में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत राशि रू. 20. 00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 19.15 लाख व्यय कर 4037 निःशक्त विद्यार्थी को लाभान्वित किया गया है।

4.13.2 कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना :– निःशक्त व्यक्तियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता के व्यक्तियों को अधिकतम रूपये 6 हजार तक मूल्य के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2011–12 में राशि रू. 40.

00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 39.99 लाख व्यय कर 1830 हितग्राहियों को कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदाय किया गया है।

4.13.3 स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान :– निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2011–12 अंतर्गत इस हेतु राशि रू. 30.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 23.75 लाख व्यय किया गया।

4.13.4 निःशक्त बच्चों के शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम :– निःशक्त बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु विशेष विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिसमें कक्षा–1 ली से कक्षा 05 वीं तक शिक्षा दी जा रही है।

4.13.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : – राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से राज्य एवं केन्द्र सरकार के संयुक्त वित्तीय संसाधनों से राज्य सरकार के नियंत्रण में संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 65 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को 300/–प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। इसमें 200/–केन्द्र शासन से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एवं 100/–राज्य शासन का अंशदान है।

भारत सरकार ने पत्र क्रमांक J-11015/1/2011-NSAP दिनांक 30.06.2011 के द्वारा न्यूनतम आयु 65 वर्ष को घटाकर 60 वर्ष की गई है तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों की पेंशन की केन्द्रीय सहायता 200/– से बढ़ाकर 500/– की गई है।

4.13.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :– राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 64 वर्ष आयुवर्ग के विधवा को 200/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है।

भारत सरकार ने पत्र क्रमांक J-11015/1/2011-NSAP दिनांक 30.06.2011 के द्वारा अधिकतम आयु 64 वर्ष को घटाकर 59 वर्ष की गई है।

4.13.7 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना :– राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 64 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर (एक प्रकार की विकलांगता

जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुविकलांग को 200/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है।

भारत सरकार ने पत्र क्रमांक J-11015/1/2011-NSAP दिनांक 30.06.2011 के द्वारा अधिकतम आयु 64 वर्ष को घटाकर 59 वर्ष की गई है।

4.13.8 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :– राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का प्रारंभ सन् 1995 से हुआ है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक 65 वर्ष से कम हो के प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को 10,000/– की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

4.14 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिहीन, आवासहीन तथा उनके रोजगार हेतु पलायन को रोकने के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समुचित अवसर एवं संसाधन निर्माण कराये जा रहे हैं।

4.14.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम –2005 के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल मानव श्रम करने के इच्छुक है, एक वित्तीय वर्ष में परिवार को 100 दिवस का श्रम रोजगार उपलब्ध कराना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का निर्माण, पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।

उपलब्धि :–योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल रू. 2492.95 करोड़ की राशि उपलब्ध थी, जिसके विरूद्ध रू. 2046.10 करोड़ व्यय किये गये । इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि के विरूद्ध 82 प्रतिशत व्यय किया गया। कुल 1200.17 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किये गये। जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग को 449.26 लाख मानव दिवस रोजगार प्राप्त हुआ।

4.14.2 स्वर्ण जयंती ग्राम स्व–रोजगार योजना :– योजनांतर्गत स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त शासकीय अनुदान स्वरोजगारियों को उपलब्ध कराया जाता हैं जिसके अंतर्गत दिये जाने वाला अनुदान परियोजना के लागत का 30 प्रतिशत

अथवा अधिकतम राशि 7500/—देय है, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये 50 प्रतिशत तक अधिकतम 10000/— दिये जाने का प्रावधान है।

उपलब्धि :—योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश आबंटन सहित कुल उपलब्ध राशि रू. 93.99 करोड़ के विरूद्ध रू.90.63 करोड़ व्यय कर कुल 58355 हितग्राहियो को लाभान्वित किया गया। जिनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 26312 हितग्राही (45.08 प्रतिशत) लाभान्वित किये गये। स्वरोजगार हेतु वितरीत कुल 171.44 करोड़ ऋण में से 63.55 करोड़ अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को प्रदाय किया गया।

4.14.3 इन्दिरा आवास योजना :—ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन— यापन कर रहे आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को नये आवास निर्माण हेतु प्रति आवास राशि रू. 45,000 एवं नक्सल प्रभावित जिलों के लिये राशि रू. 48,500 का सहायता अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

उपलब्धि :—योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश आबंटन सहित कुल उपलब्ध राशि रू. 211.90 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 185.57 करोड़ व्यय कर कुल 43010 आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराया गया जिनमें 19764 आवास (45.95 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए निर्मित कराये गये।

4.14.4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :— इस योजना का उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गो को प्राप्त हो सके।

उपलब्धि :—योजना अंतर्गत वर्ष 2011—12 में 291 सड़कों, लंबाई 818.07 कि.मी. का निर्माण कार्य कराया गया तथा 235.62 कि.मी. का उन्नयन कार्य किया गया है। कुल 471 पुलों का निर्माण किया गया हैं इस अवधि में 413 नवीन बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है।

4.14.5 जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यकम :— ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका मुख्य रूप से वर्षा सिंचिंत कृषि पर ही आधारित है। एकीकृत जलग्रहण जल प्रबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर निर्मित करना है।

उपलब्धि :—योजना अंतर्गत वर्ष 2011—12 में 2.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 342.12 करोड़ लागत की 66 जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम परियोजनाएं स्वीकृत की

गई है। अधिकतम परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्र में चिन्हित की गई है। जलग्रहण परियोजना संचालित होने पर जल स्तर में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय आदिवासी कृषक लाभान्वित हुए है तथा परियोजना क्षेत्र से इनका पलायन का प्रतिशत भी शून्य हो गया है।

4.14.6 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :— राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों को गरीबी दूर करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षो एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनमें समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी. एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक, संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना, इत्यादि कार्य शामिल है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर कियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उपलब्धि :—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन दिनांक 01.06.2011 को कराया गया है। मिशन अंतर्गत परियोजना के प्रथम चरण में प्रदेश के सभी जिलों के कुल 30 विकासखंडों का चयन किया गया है तथा चरणबद्ध रूप से 5 से 7 वर्षो में प्रदेश के समस्त जिलों व विकासखंडों में इसे शामिल किया जावेगा। मिशन कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु राज्य परसपेक्टिव कियान्वयन योजना (State Perspective Implementation Plan) तैयार की गई है। प्रारंभिक स्तर पर राशि रू. 32.37 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना भारत सरकार को भेजी गई है।

4.14.7 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षमता विकास :— विभागीय प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित की जाती हैं। अधिसूचित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण/पठन सामग्री में प्रचलित पेसा नियमों यथा ग्राम सभा आदि के शक्तियों संबंधी विषय आवश्यक रूप से शामिल होते है।

उपलब्धि :—ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा बी.आर.जी. एफ. योजना अंतर्गत 576.27 लाख रूपये का उपयोग उपके क्षमता विकास हेतु किया गया हैं वर्ष 2011—12 में कुल 35360 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

4.15 ग्रामोद्योग विभाग

1. प्रशिक्षण एवं अनुसंधानः— वर्ष 2011—12 में राशि रू. 30.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 17.38 लाख व्यय कर 640 अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

2. पालित प्रजाति के कृमि पालकों को टसर स्वस्थ्य डिम्ब समूह सहायता योजना :— वर्ष 2011—12 में योजना अंतर्गत राशि रू. 110.00 लाख आबंटित बजट के विरूद्ध राशि रू. 66.62 लाख व्यय कर 7028 अ.ज.जा. हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

3 बुनियादी सुविधा का विस्तार — रेशम एवं टसर केन्द्रों के लघु निर्माण कार्य :— वर्ष 2011—12 में 84 लघु निर्माण कार्य एवं उन्नयन कार्य हेतु राशि रू. 28.03 लाख व्यय किये गये है।

4 टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम :— वर्ष 2011—12 में कार्यक्रम से अनुसूचित जनजातियों के 10668 हितग्राही लाभान्वित हुए।

5 मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम :—योजना अंतर्गत वर्ष 2011—12 में कुल 143 अ.ज.जा. हितग्राही लाभान्वित हुए।

6 नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम :— नैसर्गिक कोसा बीज हेतु जीवित साबूत कोसाफल रू. 2.80 प्रति कोसाफल एवं मृत पोली कोसाफल रू. 1.80 तथा पोली रू. 1.30 की दर पर विभाग द्वारा ककून बैंक के माध्यम से क्रय किया जाता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2011—12 में 25300 अनु.ज.जा. हितग्राही लाभान्वित हुए।

7 अरण्डी केस्टर पौधरोपण एवं ईरी ककून उत्पादन के विकास एवं विस्तार योजनाः— वर्ष 2011—12 में 160 अनु.ज.जा. हितग्राही लाभान्वित हुए।

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग (हाथकरघा) में संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

1. एकीकृत हाथकरघा विकास योजना :— प्रदेष के समग्र विकास के लिये ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत हाथकरघा विकास योजना को सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना अंतर्गत प्रदेष के 10 कलस्टर स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास/उत्थान के लिये बकावण्ड जिला — जगदलपुर कलस्टर के लिए कुल प्रोजेक्ट राषि 60.00 लाख स्वीकृत है। इस योजना में 450 बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं वित्तीय वर्ष 2011—12 में रू. 14.7 लाख बजट आबंटन के विरूद्ध रू. 14.7 लाख व्यय किया गया।

हाथकरघा :—

वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत विभाग को रूपये 45.00 लाख का आबंटन प्राप्त था इसके विरूद्ध रूपये 20.00 लाख व्यय किया गया है।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड :–

खादी तथा ग्रामोद्योग में संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

1. कारीगर वर्कशेड योजना :– इस योजना के अंतर्गत वे कत्तिन बुनकर जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके कार्य करने हेतु वर्कशेड निर्माण के लिये उन्हे रूपये 25000/– तक अनुदान के रूप में प्रदाय किया जाता है

2. स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान :– खादी वस्त्र चूंकि हाथ का कता धागा व हाथ का बुना कपड़ा होता है जिसके पारिश्रमिक लागत में कमी लाने के लिये राज्य शासन सूत कताई पर अनुदान प्रदान करती है इससे धागा की कीमत में संतुलन बना रहता है और पारिश्रमिक में वृद्धि हो जाती है। योजना अंतर्गत वर्ष 2011–12 में राशि रू. 3.70 लाख के विरूद्ध राशि रू. 3.70 लाख का व्यय कर 200 अनु.ज.जा. के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

3. खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाईयों की स्थापना :– योजना अंतर्गत इकाईयों की स्थापना हेतु वर्ष 2011–12 में राशि रू.145.20 लाख के विरूद्ध राशि रू. 145.20 लाख व्यय कर 2150 अनु.ज.जा. हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

4.16 जल संसाधन विभाग

4.16.1 आदिवासी उपयोजना :– राज्य का लगभग आधा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है एवं लगभग 44 % क्षेत्र जंगलों से घिरा है। अगस्त 2012 के पूर्व जल संसाधन विभाग में जल संसाधन एवं सिंचाई के विकास कार्यों में 4 मुख्य इंजीनियर लगे हुए थे। जल संसाधन एवं सिंचाई साधनों का विकास राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है एवं इनके सम्पूर्ण, उचित एवं समयबद्ध रूप से विकास के लिए इस सेक्टर में आदिवासियों को लाभ पहुंचाने एवं आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए 50 नये उपयंत्री बस्तर क्षेत्र के लिए नियुक्त किये गये हैं। प्रत्येक राजस्व संभाग में अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में कम से कम एक मंडल कार्यालय होना चाहिए एवं प्रत्येक जिले में कार्यपालन अभियंता के नेतृत्व में कम से कम एक प्रभागीय कार्यालय होना चाहिए। विभिन्न उप प्रभागीय कार्यालय एवं उप अभियंता सतत् इन क्षेत्रों के विकास कार्यों में लगे हुए हैं।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त संख्या में मानव शक्ति कार्यरत हैं। परंतु सुदूर क्षेत्रों में पहुंच न होने के कारण, नक्सलवादी गतिविधियों की उपस्थिति, परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति न मिलने के कारण, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र

सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रोजेक्टस की अनुमति न मिलने एवं समय पर केन्द्रीय राशि उपलब्ध न होने आदि के कारण विकास कार्य धीमी गति से हो रहा है।

वर्ष 2011–12 का आदिवासी क्षेत्र के लिए विभाग का वार्षिक योजना बजट 365.57 करोड़ था जिसका 356.71 करोड़ खर्च किया गया। 6.041 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की संभावनाओं के साथ राज्य के आदिवासी क्षेत्र में दिनांक 31.03.2011 तक 2 बड़े, 10 मीडियम एवं 1068 छोटे सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई। इस अवधि के दौरान (आदिवासी क्षेत्र में अंशतः आने वाले) एवं 18 छोटे नये सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण किये गये, जिसके फलस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई की संभावनाएं बढ़ाते हुए पूर्ण सिंचाई परियोजना 6.158 लाख हेक्टेयर हो गई।

धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के आदिवासी क्षेत्र में सोंढूर वृहद परियोजना के पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए कड़े प्रयास किये गये एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय ग्रीन बेंच से स्वीकृति प्राप्त करने में विभाग सफल हुआ। विभाग द्वारा न सिर्फ सीधे सिंचाई के लिए सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है बल्कि भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने, निस्तार, पीने का पानी सप्लाई करने एवं पंप के माध्यम से प्रत्यक्ष सिंचाई तथा ट्यूब वेल के जल स्तर को बढ़ाकर अप्रत्यक्ष सिंचाई के लिए ऐनीकट, बांध एवं स्टॉप डेम का निर्माण किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में अब तक 84 ऐनीकट का निर्माण किया जा चुका है जिसमें से 6 ऐनीकट का निर्माण वर्ष 2011–12 के दौरान किया गया। ऐनीकट से लगे हुए क्षेत्रों के किसान ऐसी परियोजनाओं से लाभान्वित होकर रबी के मौसम में भी फसल बो रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में 148 ऐनीकट के निर्माण हेतु 240.75 करोड़ रू खर्च किये गये हैं।

जल संसाधन विभाग द्वारा लिये गये लगभग 790 कार्यों में राज्य के आदिवासी जिलों में MNREGA प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 160 लाख श्रम दिवस उपलब्ध कराया गया।

एशियन डेव्हेलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा प्राप्त सहायता, सिंचाई विकास परियोजना एवं भारत सरकार के जल संसाधन विभाग RRR कार्यक्रम द्वारा पूर्व निर्मित परियोजनाओं के मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं पुर्नवास कार्यों में तीव्रता आई है।

छत्तीसगढ़ सरकार एवं विभाग किसानों के उत्थान एवं राज्य को खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध है।

4.17 लोक निर्माण विभाग

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में कुल 32 सड़क कार्य पूर्ण और 47 सड़क कार्य प्रगति पर है। इन कार्यो के अंतर्गत 449 कि.मी. सड़कों का निर्माण/उन्नयन

का कार्य किया गया। इसके अलावा 29 पुल कार्य पूर्ण एवं 89 पुल कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार भवन कार्य के अंतर्गत 67 कार्य पूर्ण एवं 164 कार्य प्रगति पर है। उक्त सभी कार्य आदिवासी क्षेत्रों में किये जाने से वहां आवागमन की सुविधा सुलभ होती है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ सभी निवासियों को होता है जिसमें क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। मंडी, उद्योग तथा व्यापार की गतिविधि बढ़ने से आदिवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। भवन कार्य के अंतर्गत स्कूल, आश्रम तथा अस्पताल बनने से आदिवासियों को सीधे लाभ मिलता है।

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :—

1.सड़क एवं पुल कार्य (मांग संख्या—42)

(अ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत :— इस योजना में 25 सड़क कार्य पूर्ण किये गये तथा 30 सड़क कार्य प्रगति पर है इस योजना के अंतर्गत 241 कि.मी. सड़क कार्य किया गया। इस योजना के तहत रू. 43.17 करोड़ का व्यय किया गया है।

(ब) कॉरीडोर योजना के तहत :— इस योजना के 2 पूर्ण किया गया, जिसमें 63 कि.मी. निर्माण कार्य कराया गया, 1 पुल कार्य पूर्ण एवं 02 पुल कार्य प्रगति पर है। जिसमें रू. 6. 28 करोड़ का व्यय किया गया है।

(स) राज्य मार्ग :— इस योजना के अंतर्गत 01 सड़क कार्य प्रगति पर, जिसमें रू. 7.98 करोड़ का व्यय हुआ है।

(द) मुख्य जिला मार्ग :— इस योजना के अंतर्गत 01 पूर्ण, 11 सड़क कार्य प्रगति पर थे, जिसमें मात्र रू.40.28 करोड़ का व्यय हुआ है तथा 118.55 किमी सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया हैं।

(इ) वृहत पुलों का निर्माण :— इस योजना के अंतर्गत 29 पुल पूर्ण तथा 88 पुल का कार्य प्रगति पर रहे तथा रू. 59.38 करोड का व्यय किया गया है।

(ई) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वृहत पुलों का निर्माण :— इस योजना के अंतर्गत 01 पुल पूर्ण एवं 01 पुल प्रगति पर रहा तथा इस पर रू. 53.52 करोड़ का व्यय किया गया है।

(व) हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार :— इस योजना के अंतर्गत 3 कार्य पूर्ण तथा 5 कार्य प्रगति पर था। इन पर 6.53 करोड़ का व्यय किया गया हैं

(ल) नाबार्ड :— इस योजना में 01 सड़क पूर्ण तथा 01 पुल कार्य प्रगति पर था वर्ष 2011—12 में कोई व्यय नहीं किया गया।

मांग संख्या —76 :—

(अ)ए.डी.बी. सहायता के कार्य (आदिवासी क्षेत्र):– इस योजना के अंतर्गत एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण प्राप्त कर राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों का उन्नयन का कार्य किया जा रहा हैं वर्तमान में 03 कार्य पूर्ण एवं 01 सड़क का कार्य प्रगति पर हैं जिसमें 17.30 कि.मी. का सड़क कार्य किया गया है। इन पर राशि रू. 55.00 करोड़ का व्यय किया गया है।

2. भवन कार्य (मांग संख्या –68)

(अ) मांग संख्या – 68 :– मांग संख्या 68 में भवन कार्यो के तहत 67 नग भवन पूर्ण किये तथा 164 नग कार्य प्रगति पर है, इस योजना पर वर्ष 2011–12 में रू. 280.92 करोड़ व्यय किया गया है। महत्वपूर्ण भवन जो इस योजना के अंतर्गत पूर्ण हुए है वह निम्नानुसार है :–

- 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
- 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 02 आदिवासी छात्रावास,
- 01 शिक्षक आवासगृह,
- 20 शैक्षणिक संस्थान
- 04 नग विकासखंड शिक्षा अधिकारी भवन निर्माण
- 01 नग आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं औषधालय
- 11 उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन
- 03 महाविद्यालय भवन
- 02 माध्यमिक शाला भवन

4.18 जनसंपर्क विभाग :– विभाग द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रांतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार –प्रसार निम्नानुसार किया गया : –

4.18.1 नाचा दलों के माध्यम से प्रचार–प्रसार :– संचालनालय द्वारा प्रशिक्षित नाचा दलों, कला मंडलियों के माध्यम से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी तथा सरगुजिया आदि स्थानीय बोलियों में नाचा तथा कठपुतली कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया। इन नाचा मंडलियों को प्रति कार्यक्रम 2000 रूपए के मान से 54 लाख 90 हजार रूपए का मानदेय पंच–सरपंचों से प्राप्त प्रमाण पत्र और जिला जनसम्पर्क कार्यालयों के निष्पादन प्रमाण पत्रों के आधार पर भुगतान किया गया। इन नाचा दलों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2740 स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें करीब ढाई लाख से अधिक लोगों ने देखा।

4.18.2 चलित छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार–प्रसार :– जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में शासन की योजनाओं पर आधारित आकर्षक फोटोग्राफ्स और फ्लैक्स पर आधारित 04 चलित छायाचित्र प्रदर्शनी वाहन तैयार कर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर राज्य के 09 जिलों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं–कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया गया। लाखों लोगों ने इन चलित छायाचित्र प्रदर्शनी को देखा। चलित छायाचित्र प्रदर्शनी पर 04 लाख 14 हजार 598 रूपए व्यय हुआ।

4.19 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को आदिवासी उपयोजना अंतर्गत पृथक से आबंटन प्राप्त नहीं होता है, तथापि विभाग की निम्नलिखित योजनाओं अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है ।

4.19.1 सामान्य सेवा केन्द्र (ग्रामीण चॉइस केन्द्र) :–

सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक 6 ग्रामों के समूह में एक केन्द्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इन केन्द्रों से ग्रामीणों को ऑनलाईन सेवा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जिसमें निजी एवं शासकीय सुविधाएं प्रदान की जायेगी। ऑनलाईन दी जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैं :–

शासकीय सेवाएं–

1. जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र
2. मूल निवासी प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. शासकीय फार्म की प्रदायगी
6. भू – अभिलेख दस्तावेज की प्रदायगी
7. रोजगार पंजीयन
8. जनशिकायत निवारण
9. बिजली बिल का भुगतान
10. टेलीफोन बिल का भुगतान
11. परीक्षा परिणाम की प्रदायगी

निजी सेवाएं–

1. बीमा संबंधित सेवाएं।

2. बैंकिंग संबंधित सेवाएं।

3. कृषि संबंधित सेवाएं।

4. मोबाइल सेवाएं।

5. अन्य जनोपयोगी सेवाएं।

राज्य में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर 887 केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जहां से उपरोक्त दर्शाई सेवाएं दी जाने की व्यवस्था है। यह केन्द्र स्थानीय उद्यमी द्वारा स्ववित्त से प्रारंभ किये गये हैं यह केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अंतर्गत बनाये गये छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम 2003 के आधार पर संचालित हैं।

4.20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में मुख्यतः पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।

वर्ष 2011–12 के बजट आबंटन में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टी.एस.पी.) हेतु कुल राशि रु. 10383.75 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था। जिसके विरूद्ध राशि रु. 8405.17 लाख व्यय किया गया।

❋❋❋❋❋

अध्याय – 5

विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

शासन के विभिन्न विभागों के लिए ''आदिवासी उपयोजना'' (TSP) के अंतर्गत बजट में प्रावधानित राशि/प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2011–12)

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग का नाम	मांग संख्या	राज्य आयोजना			
			प्रावधान	आबंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि विभाग	41	17096.63	15682.65	12653.65	
	योग		17096.63	15682.65	12653.65	80.68
2	उद्यानिकी	41	5513.94	2287.04	2282.83	
	योग		5513.94	2287.04	2282.83	99.82
3	पशुपालन एवं चिकित्सा सेवायें विभाग	41	1722.28	2109.61	1736.51	
		82	70.00	70.00	69.52	
	योग		1792.28	2179.61	1806.03	82.86
4	मत्स्योद्योग विभाग	41	1047.12	1047.12	1043.10	
		82	167.25	129.33	129.19	
	योग		1214.37	1176.45	1172.29	99.64
5	सहकारिता विभाग	41	5933.98	5933.98	5041.35	
	योग		5933.98	5933.98	5041.35	84.95
6	वन विभाग	41	13746.00	13746.00	13225.52	
	योग		13746.00	13746.00	13225.52	96.21
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	41	25560.92	25560.92	12083.38	
	योग		25560.92	25560.92	12083.38	47.27
8	ऊर्जा विभाग	41	16093.61	16093.61	12238.56	
	योग		16093.61	16093.61	12238.56	76.05
9	ग्रामोद्योग विभाग (अ) रेशम उद्योग	41	646.23	646.23	503.90	
	(ब) हाथकरधा	41	34.70	34.70	33.70	
	(स) खादीग्रामोद्योग	41	196.35	196.35	196.35	
	(द) हस्तशिल्प विकास बोर्ड	41	627.01	266.66	266.66	
	योग		1504.29	1143.94	1000.61	87.47
10	जल संसाधन विभाग	41	36586.60	31561.60	24168.48	
	योग		36586.60	31561.60	24168.48	76.57
11	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	41	80083.74	82506.24	81998.69	
	योग		80083.74	82506.24	81998.69	99.38
12	स्कूल शिक्षा विभाग	41	54412.74	26534.49	24230.44	
	योग		54412.74	26534.49	24230.44	91.32
13	आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	41	98437.60	98437.60	85601.42	
		82	63763.70	63763.70	58004.83	
	योग		162201.30	162201.30	143606.29	88.53

14	उच्च शिक्षा विभाग		41	4628.90	4628.90	3910.63	
	योग			4628.90	4628.90	3910.63	84.48
15	जन शक्ति नियोजन विभाग	(अ) तकनीकी शिक्षा	41	2726.00	2726.00	1401.49	
		(ब) रोजगार एवं प्रशिक्षण	41	8845.15	8845.15	1332.63	
	योग			11571.15	11571.15	2734.12	23.63
16	समाज कल्याण विभाग		41	222.65	222.65	151.19	
	पंचायत विभाग		41/82	41106.00	41106.00	40270.38	
	योग			41328.65	41328.65	40421.57	97.81
17	महिला एवं बाल विकास विभाग		41	20043.70	20043.70	14092.48	
			82	30.00	30.00	26.92	
	योग			20073.70	20073.70	14119.40	70.34
18.	लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग		41	17582.78	17582.78	16577.50	
	योग			17582.78	17582.78	16577.50	94.28
19.	लोक निर्माण विभाग		42	39792.50	39792.50	16464.80	
			68	10527.30	10527.30	6912.55	
			76	10300.00	10300.00	5500.57	
	योग			60619.80	60619.80	28880.92	47.64
20.	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय		41	2900.00	2900.00	2899.24	
	योग			2900.00	2900.00	2899.24	99.97
21.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग		41	9888.75	9888.75	7940.18	
			82	495.00	495.00	464.99	
	योग			10383.75	10383.75	8405.17	80.94
22.	चिकित्सा शिक्षा विभाग		41	3925.70	3925.70	2368.97	
	योग			3925.70	3925.70	2368.97	60.34
23.	संस्कृति विभाग		41	300.00	300.00	263.74	
	योग			300.00	300.00	263.74	87.91
24.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग		41	551.81	551.81	446.81	
			83	1500.00	1500.00	1500.00	
	योग			2051.81	2051.81	1946.81	94.88
25.	वाणिज्य एवं उद्योग		41	2801.00	2801.00	1298.76	
	योग			2801.00	2801.00	1298.76	46.37
26.	विधि एवं विधायी कार्य		41	71.90	71.90	71.90	
	योग			71.90	71.90	71.90	100.00
27.	जनसम्पर्क		41	60.00	60.00	59.05	
	योग			60.00	60.00	59.05	98.42
28	आयुर्वेद, योग, एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग		41	1969.00	1969.00	1431.09	
	योग			1969.00	1969.00	1431.09	72.68
29	भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग		41	2515.00	2515.00	2473.43	
	योग			2515.00	2515.00	2473.43	98.35
	महायोग			604523.54	569390.97	463370.42	81.38

5.1 कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

5.1.1 वर्ष 2011–12 में कृषि विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत 26166.33 लाख रूपयों का आबंटन प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध 12588.29 लाख रूपये व्यय किया गया। विवरण निम्नानुसार है :– (राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	कृषक समग्र विकास योजना	760.00	681.16
2	जनजागरण अभियान के लिये शिविरार्थियों को प्रोत्साहन	65.00	65.00
3	भू जल संवर्धन	50.00	30.44
4	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	9500.00	7349.88
5	शाकम्बरी	1040.00	1023.73
6	सूक्ष्म सिंचाई स्प्रिंकलर	79.30	79.30
7	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	1140.00	6.40
8	आइसोपाम विकास योजना	752.40	291.03
9	मैक्रोमैनेजमेंट वर्किंग प्लान	767.60	748.70
10	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	20.00	20.00
11	मशीन ट्रेक्टर योजना	70.00	62.10
12	दण्डकारण्य में मिट्टी परीक्षण प्रयोग शाला की स्थापना	7.25	7.06
13	बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना	760.00	269.82
14	इं.गां.कृ.वि. रायपुर को अनुदान	325.00	325.00
15	वृष्टि छाया योजना	90.50	90.40
16	माइक्रोइनर सिंचाई योजना	900.00	899.79
17	नलकूप स्थापना पर अनुदान	639.50	628.33
18	कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	33.08	9.30
19	खलिहान बीमा योजना	10.00	0.00
	योग	26166.3	12588.29

5.1.2 उद्यानिकी

विभाग को वित्तीय वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत राशि रू.1169.94 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध राशि रू. 1099.99 लाख का व्यय किया गया। योजनावार राशि का विवरण निम्नानुसार है :– (राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1.	मसाला उत्पादन एवं विकास योजना	54.00	53.89
2.	आलू विकास योजना	48.00	47.90

3.	बड़े शहरों के आसपास साग–भाजी उत्पादन योजना	54.00	53.92
4.	घरेलु बागवानी की आदर्श योजना	50.00	49.99
5.	अधिकारियों/कर्मचारियों को उद्यानिकी प्रशिक्षण	12.00	12.85
6.	सघन फलोद्यान विकास योजना	130.00	128.74
7.	नर्सरियों में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	85.00	85.00
8.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	570.00	570.00
9.	स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान	208.94	97.70
	योग	1169.94	1099.99

5.2 पशुपालन विभाग

5.2.1 वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना मद में पशु पालन विभाग को 1807.97 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया था। जिसके विरूद्ध 1727.53 लाख की राशि व्यय कर निम्न योजनायें संचालित की गई।

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1.	गौवंशीय योजना	16.00	16.00
2.	नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना	40.00	39.92
3.	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	180.00	179.99
4.	सूकर वितरण अनुदान	80.00	79.85
5.	नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	100.00	98.61
6	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	108.00	108.00
7.	बस्तर जिले में पशुधन विकास	266.44	173.14
8.	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थापना	30.00	29.60
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	987.33	1002.26
	योग :–	1807.97	1727.37

5.2.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	योजना का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
1.	बैल जोड़ी का प्रदाय	संख्या	–	–
2.	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	कुक्कुट संख्या	20000	12924
3.	सुकर वितरण अनुदान	सुकर 1 नर +2 मादा	1155	608
4.	नस्ल सुधार हेतु बकरों का वितरण	बकरा संख्या	4000	690
5.	नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	सांड संख्या	452	169

5.3 मत्स्य विभाग

5.3.1 प्रदेश में जनजाति समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने और खाने के शौकीन हैं। प्रदेश में मत्स्य पालन बढ़ाने एवं उनमें अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।

5.3.2 वर्ष 2011–12 में क्रियान्वित विकास की विभिन्न योजनाओं का विवरण तथा वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां तालिका में प्रदर्शित है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्य विकास	63.52	60.03
2	मत्स्य बीज उत्पादन	100.00	100.00
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	2.00	2.00
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	6.60	6.60
5	आदिवासी मत्स्य / पालकों को सहायता अनुदान	80.00	79.88
6	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	3.00	3.00
7	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	9.25	9.23
8	मत्स्य पालन प्रसार (अभिकरणों को अनुदान)	37.08	37.08
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	875.00	874.47
	योग –	1176.45	1172.29

मछली पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्य विकास	स्टेफ्राई संख्या (लाख में)	198.88	191.88
2	मत्स्य बीज उत्पादन	स्टेफाई (लाख में)	4500	4572
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	हित. संख्या	80	78
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	हित. संख्या	44000	44000
5	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	समिति संख्या	36	36
6	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	हितग्राही संख्या	740	740
7	मत्स्य पालन प्रसार (मत्स्य पालकों को अनु.)	हित.संख्या	2020	2020
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	हित संख्या	7450	7450

5.4 सहकारिता विभाग

5.4.1 सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 के आदिवासी उपयोजना मद में विभाग को 5933.98 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध 5041.33 लाख व्यय किया गया। विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	अनुसूचित जनजाति समिति को प्रबंधकीय अनुदान	6.00	6.00
2	विपणन समिति के अंश क्रय हेतु अनुदान	11.00	11.00
3	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की अंश पूजी में धनवेष्ठन	100.00	69.35
4	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूंज में धनवेष्ठन	100.00	100.00
5	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लैम्पस के अंश क्रय करने हेतु अनुदान	20.00	20.00
6	कृषक ऋण राहत योजना	4269.84	3420.00
7	सहकारी शक्कर कारखाना ऋण	1400.01	1400.00
8	बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार आर्थिक सहायता	0.10	0.00
9	विपणन सहकारी समिति गोदाम निर्माण हेतु आर्थिक सहायता	27.00	15.00
10	आदिवासी सदस्यों को जिला विकास बैंकों के हिस्सा पूंजी हेतु ऋण	0.01	0.00
11	एकीकृत सहकारी विकास योजना	0.02	0.00
	योग	5933.98	5041.35

5.4.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	अनुसूचित जनजाति समिति को प्रबंधकीय अनुदान	व्यक्ति संख्या	120	437
2	विपणन समिति के अंश क्रय हेतु अनुदान	सदस्य	11000	11000
3.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की अंश पूजी	संस्था	200	133

	का धनवेष्ठन			
4.	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	संस्था	2	2
5.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लैम्पस के अंश क्रय करने हेतु अनुदान	सदस्य	40000	40000
6.	कृषक ऋण राहत योजना	सदस्य	342000	210551
7	सहकारी शक्कर कारखाना	संस्था	1	1
8	बैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार आर्थिक सहायता	संस्था	0	0
9	विपणन सहकारी समिति गोदाम निर्माण अनुदान	संस्था	8	6

5.5 वन विभाग :—

5.5.1 जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों को कृषि के पश्चात् सर्वाधिक आय वनों तथा वन उपजों से ही होती है। वन विभाग वन एवं वानिकी कार्य के अतिरिक्त वन ग्रामों की जनजातियों तथा विशेष जनजातियों के लिए कृषि, सिंचाई, पेयजल संबंधी कार्य भी क्रियान्वित करता है।

5.5.2 वन विभाग को वर्ष 2011—12 में आदिवासी उपयोजना/विशेष केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मांग संख्या—41 में राशि 13746.00 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध राशि 13225.52 लाख रूपये व्यय किये गये। विवरण निम्नानुसार है:—

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	2	3	4
1	बिगड़े वनों का सुधार	4500.00	4493.26
2	सामाजिक वानिकी	230.00	229.44
3.	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	250.00	243.49
4.	लघु वनोपज संघ को अनुदान (के.क्षेत्र.यो.)	200.00	135.00
5.	पर्यावरण एवं वानिकी	400.00	398.87
6.	नदी तट वृक्षारोपण योजना	380.00	375.60
7.	पौधा प्रदाय योजना	60.00	59.79

8.	ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधि रोपण	580.00	564.81
9	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	241.00	123.16
10	अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु वृक्षारोपण	150.00	144.49
11.	सड़के तथा मकान निर्माण	825.00	823.96
12	बांस वनों का पुनरोध्दार	2460.00	2433.19
13	संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	200.00	174.50
14	लाख विकास योजना	200.00	200.00
15	लघु वनोपज संग्राहकों की सामूहिक बीमा योजना	300.00	300.00
16	वन मार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण	2050.00	2045.06
17	कर्मचारी कल्याण योजना	100.00	93.48
18	प्रसंस्करण इकाई	250.00	33.95
19	वन अधिकारों की मान्यता	100.00	85.12
20	हरियाली प्रसार योजना	100.00	99.22
21	भू–जल संरक्षण कार्य	170.00	169.13
	योग	13746.00	13225.52

5.5.3 वन विभाग द्वारा संचालित योजना की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वित अनु.जनजाति की संख्या
1.	राज्य की आयोजना बिगड़े वनों का सुधार	हेक्टेयर	104186	104186	720294
2.	सामाजिक वानिकी	लाख हे.	1637	1637	36780
3.	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण का कार्य	हे.	2050	2050	23163
4.	सड़के तथा मकान निर्माण	सड़क मकान	27 K.M. 157	27 K.M. 157	_ _
5.	पौधा प्रदाय योजना	लाख पौधे	21.54	21.41	9585
6.	हरियाली प्रसार योजना	लाख पौधे	10.00	10.00	15905

7.	नदी तट वृक्षारोपण	रोपण हे. लाख पौधे	100 H. 19.25	100 H. 19.25	- 60211
8.	बांस वनों का पुनरोद्वार	हे.	102816	102816	390053
9	ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज / औषधिरोपण	हे.	3699	3699	90542
10	पर्यावरण वानिकी	पौध रोप रखरखाव	1815	1815	63941
11	भू–जल संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	11654	11654	27112
12	वन मार्गो पर रपटा / पुलिया निर्माण	संख्या	402	402	327834
13	तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष	हेक्टेयर पौध संख्या	3115 H 2200	3115 H 2200	- 39033
15	कर्मचारी कल्याण योजना	आवास	18	18	14985
16	वन अधिकारों की मान्यता	मुनारों की संख्या	19331	19331	-

5.6 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

5.6.1 इंदिरा आवास योजना :– योजना का उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले आवासहीन लोगों को आवास निर्माण के लिए शत–प्रतिशत आवासीय सहायता देकर निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। योजना अन्तर्गत नये आवास योजना के लिए 35 हजार रूपये एवं उन्नयन के लिए 15 हजार रूपये प्रति आवास के मान से शत–प्रतिशत राशि हितग्राही को अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्र एवं राज्य का अनुपात क्रमशः 75 / 25 प्रतिशत है।

5.6.2 क्रेडिट कम सब्सिडी :– इस योजना के अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण परिवार जिनकी वार्षिक आय रूपये 32,000 तक है लाभान्वित होते है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

5.6.3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :– इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75 / 25 का है इस योजना की विशेषता निम्नानुसार है :–

5.6.3.1. क्रियान्वयन में ग्रुप / कलस्टर प्रोजेक्ट / ऐप्रोच अपनायी जायेगी।

5.6.3.2 अंतर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में उपलब्ध संसाधन, स्थानीय कौशल और बाजार की

उपलब्धता को दृष्टिगत् रखते हुए मुख्य गतिविधियों का चयन किया जायेगा।

5.6.3.3 ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में उद्यमों की स्थापना कर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है।

5.6.3.4 योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले चयनित परिवार सहायता हेतु पात्र होंगे।

5.6.3.5 योजना अन्तर्गत जनजातियों के कार्यों को 10,000 और समूह के लिए 1.25 लाख अनुदान सीमा निर्धारित है सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

5.6.3.6 गठित समूहों में 50 प्रतिषत समूह महिलाओं के लिए होंगे।

5.6.4 राजीव गाँधी जलग्रहण विकास कार्यक्रम :– कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है।

विभाग को वित्तीय वर्ष 2011–12 में आदिवासियों के विकास के लिए योजनाओं के संचालन हेतु 25560.92 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त था जिसके विरूद्ध रू. 12083.38 लाख व्यय किया गया। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	इंदिरा आवास योजना	3460.17	3303.17
2	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	918.79	893.60
3	आई.डब्ल्यू.डी.पी.	176.81	42.16
4	म.गां.राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना	11400.00	5730.49
5	म.गां. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (बेरोजगार भत्ता)	23.08	0.00
6	डी.आर.डी.ए.(प्रशासन)	242.29	196.92
7	आई.डब्ल्यू.एम.पी.	572.96	572.87
8	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	1352.32	1338.79
9	प्र.मं.ग्राम सड़क योजना	2500.00	0.00
10	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	4914.50	5.38
	योग –	25560.92	12083.38

5.7 ऊर्जा विभाग

5.7.1 आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत राशि रूपये 16093.61 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ। आबंटित राशि के विरूद्ध रू 12238.56 व्यय किया गया। विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत व्यय तथा भौतिक उपलब्धियों की जानकारी अग्रलिखित है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	बी.पी.एल. कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (एकलबत्ती कनेक्शन)	3188.60	4765.02
2.	ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के अंतर्गत अक्षय उर्जा संस्था को अनुदान	2910.00	2910.00
3.	5 हार्स पावर के कृषि पंपों का निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु अनुदान	6465.00	2251.44
4.	कृषि पंपों का उर्जीकरण	3150.00	1863.00
5.	शासकीय स्कूलों / अस्पतालों का विमुक्तियां	380.00	19.12
6.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	0.01	429.98
	योग–	16093.61	12238.56

5.7.2 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण	ग्राम संख्या	342	269
एकल बत्ती कनेक्शन	हितग्राही	172718	42782
हार्स पावर के कृषि पंपों का निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु अनुदान	हितग्राही	49750	53902
घरेलु बायो गैस	संख्या	1500	1836
आदिवासी छात्रावास व आश्रम का विद्युतीकरण	संख्या	100	76
सौर गर्म जल संयंत्र	लि. / दिन	50000	42700
सौर पेयजल पंप	संख्या	70	64
सौर सामुदायिक प्रकाश संयंत्र	संख्या	10	8
सौर सड़क प्रकाश संयंत्र	संख्या	100	80
सौर लालटेन	संख्या	1000	663
सौर जनरेटर	संख्या	100	116
बी.पी.एल. कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	हितग्राही	647871	536114

5.8 रेशम एवं ग्रामोद्योग

अ रेशम

5.8.1 राज्य के अनुसूचित जनजाति परिवारों को डाबा पालित टसर, ककून का उचित मूल्य प्रदाय करने हेतु गुणवत्ता आधारित टसर कोसा क्रय पद्धति लागू की गई है ताकि राज्य में गुणवत्ता युक्त ककून के उत्पादन साथ–साथ वनवासी टसर कृमि पालक हितग्राहियों को उनके परिश्रम के अनुरूप उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

5.8.2 बस्तर, रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में नैसर्गिक रूप से प्राप्त रैली एवं लरिया कोसा का उत्पादन लगभग 5.00 करोड़ नग होता है, जिसके संग्रहण से लगभग 27,000 जनजातीय एवं वनवासी परिवार लाभान्वित होते है।

5.8.3 वित्तीय उपलब्धियाँ

वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत मांग संख्या–41 एवं 82 में टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम में प्राप्त आवंटन रूपये 464.23 लाख के विरूद्ध रू.503.90 लाख व्यय किया गया। योजनावार विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	401.23	369.70
2	पालित प्रजाति के टसर डिम्ब समूह	138.00	120.70
3	अरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार	107.00	13.50
	योग–	646.23	503.90

5.8.4 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1. पालित प्रजाति के टसर डिम्ब समूह	लाख नग	25.93	22.32
2.नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	लाख नग	1392.00	1636.27
3. अरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार	कि.ग्रा.	35100	2619

ब. ग्रामोद्योग (खादी ग्रामोद्योग) वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत विभाग को 196.35 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त था जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा रू196.35 लाख का व्यय किया गया है। योजनावार विवरण अग्रलिखित है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आवंटन	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि
1	खादी बोर्ड को कच्चा माल की सुविधा हेतु सहायता	24.00	24.00	200	200
2	खादी वस्त्रों पर उत्पादन पर रिबेट	13.00	13.00	150	150
3	खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाई की स्थापना हेतु सहायता	145.20	145.20	1456	2914
4	खादी बोर्ड के कारीगरों को प्रषिक्षण	10.45	10.45	1217	1217
5.	स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान सहायता	3.70	3.70	150	150
	योग–	196.35	196.35		

स. हाथकरघा :– वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 34.70 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 33.70 लाख व्यय किया गया है।

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि
1	एकीकृत हाथकरघा विकास योजना	14.70	14.70	1	1
2	बाजार अध्ययन	15.00	15.00	4	4
3	रिवाल्विंग फण्ड	5.00	4.00	4	3
	योग–	34.70	33.70		

द. ग्रामोद्योग (हस्तशिल्प विकास बोर्ड) :– वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 266.66 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 266.66 लाख व्यय किया गया है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय	भौ.लक्ष्य	भौ.उपलब्धि
1	हस्तशिल्प विकास योजनाओं हेतु अनुदान	22.00	22.00	220	220
2	हस्तशिल्प में राज्य पुरस्कार	2.00	2.00	7	7
3	विकास केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान	30.00	30.00	-	-

4	हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण अनुदान	20.00	20.00	233	233
5	ग्लेजिंग युनिट की स्थापना	25.00	25.00	250	250
6	बस्तर हस्तशिल्प विकास योजना	20.66	20.66	100	100
7	हस्तशिल्पियों को औजार/कर्म. निर्माण अनुदान	7.00	7.00	105	105
8	बांस शिल्प केन्द्र की स्थापना	140.00	140.00	170	170
	योग	266.66	266.66		

5.9 जल संसाधन विभाग

वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 31561.60 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 24168.48 लाख व्यय किया गया है ।

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
	वृहद परियोजना		
1	सोंढूर परियोजना	1935.00	1922.88
	मध्यम परियोजना		
1.	खरखरा	100.00	55.74
2.	कोसारटेडा	1091.60	1048.42
3.	मोंगरा	1000.00	575.00
4.	परालकोट	35.00	18.40
	लघु सिंचाई		
1.	ल.सि.यो. (सामान्य)	13100.00	10709.83
2.	ल.सि.यो. सर्वेक्षण	300.00	282.57
3.	मरम्मत एवं पुनर्रोद्धार	1500.00	359.56
4.	अपूर्ण सिं.यो. को पूर्ण करना अनुच्छेद 275 (1)	25.00	0.00

5.	एनीकट निर्माण	9200.00	7183.67
6.	औद्योगिक एनीकट	3300.00	2012.41
	महायोग	31561.60	24168.48

5.10 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

वर्ष 2011–12 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 82506.24 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 81998.69 लाख व्यय किया गया है

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	आदिवासी जिलो में रियायती दर पर आयोडाइज नमक वितरण	1237.66	1237.66
2	अन्नपूर्णा योजना	6.08	4.60
3.	अंत्योदय अन्न योजना	5622.40	5622.40
4.	अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना प्रदाय	1200.00	1200.00

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: setcol

STACK:

/DeviceGray
/DeviceGray